मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी जाये, जिनके माता और पिता दोनों मर गये हैं, उनकी जवान कन्याओं की शादी का जिम्मा लिया जाये।

श्री उपसभापति: आपको स्पेशल मेंशन हो गया।...(व्यवधान)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल:*

श्री उपसभापति: इसमें लिखा नहीं हैं।...(व्यवधान)....ठीक है। हो गया।...(व्यवधान)... यह सब रिकार्ड में नही जायेगा।...(व्यवधान)... यह सब रिकार्ड में नहीं जायेगा।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shrimati Jamana Devi Barupal.

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shrimati Jamana Devi Barupal.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till two o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

STATUTORY RESOLUTION

Approving continuance of the Proclamation dated 7th March, 2005, in respect of Bihar, issued under article 356 of the Constitution

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Statutory Resolution to be moved by Shri Shivraj V. Patil.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : Sir, I beg to move the following Resolution:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated 7th March, 2005, in respect of Bihar, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005."

As the House is aware, the President was pleased to issue a proclamation under Article 356 of the Constitution, imposing President's

*Not recorded.

Rule in the State of Bihar on 7th March, 2005, keeping the Legislative Assembly under suspended animation. The Resolutions, seeking approval of the proclamation, were approved by the Lok Sabha and the Rajya Sabha on 19th March, 2005 and 21st March, 2005, respectively Subsequently, when it became clear that no party, or combination of parties, was in a position to form a Government and the only option left was to seek fresh mandate of the people, the Legislative Assembly of the State was dissolved on 23rd May, 2005.

As the hon. Members are aware, under Clasue 4 of Article 356 of the Constitution, a proclamation issued by the President, and duly approved by the Parliament, shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of the period of six months from the date of issue of proclamation, unless a Resolution approving the continuance inforce of such a proclamation is passed by both the Houses, in which case, the proclamation shall continue for a further period of six months. Accordingly, the proclamation in relation to the State of Bihar shall cease to operate on 6th September, 2005, unless we, in this House, decide to extend it for a further period of six months. We must, therefore, either have an elected Government in place by the 6th of September, 2005, or, extend the duration of President's Rule.

Here, I would like to clarify that in terms of the first proviso of Clause 4 of Article 356 of the Constitution, the President's Rule in a State can be extended for a period of six months only. However, the proclamation can be revoked at any time before the expiration of the six months period, if so required.

After the dissolution of the Legislative Assembly of Bihar on 23rd May, 2005, the Election Commission sent a two-member team to the State of Bihar to make an assessment of the preparedness of the State machinery to conduct elections, the ground realities with regard to the rainy season and its effect and other relevant aspects. Through a Press note, dated the 31st May, 2005, communicated officially to the Union Government through its letter dated 17th June, 2005, the Election Commission has informed that after taking into account all relevant factors, including religious festivals, and the ground realities such as floods, the need to update electoral rolls and the need for servicing electronic voting machines, etc., it was of the unanimous view that holding a free and fair poll during the period July, August and September, 2005 is ruled out.

The Commission is further of the considered view that the suitable period for holding the poll for the General Elections in Bihar would be October to November, 2005. It has, therefore, become necessary to extend President's Rule in Bihar beyond 6th of September, 2005.

In view of the above, it is proposed that President's Rule in Bihar may be continued for a further period of six months with effect from 7th September, 2005. I seek the approval of this august House to the Resolution moved by me.

The question was proposed

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में इस सदन में यह दूसरी चर्चा हो रही है। पहली चर्चा 21 मार्च को हुई थी, उस समय भी विपक्ष की ओर से इस चर्चा को आरंभ करने का सुअवसर मुझे मिला था, और आज जब दूसरी चर्चा हो रही है, इसमें भी बहस को आरंभ करने का सुअवसर मुझे ही मिला है लेकिन इन दोनों चर्चाओं में बहुत मौलिक अंतर है। पहली चर्चा में एक सर्वानुमति थी, एक सहमति थी और एक आशा भी थी कि नयी सरकारी बनाने के प्रयास होने चाहिए ताकि लोगों के लोकतांत्रिक विचारों का सम्मान हो सके। मैं आज की चर्चा बहुत ही क्षोभ और पीड़ा के साथ आरंभ कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बिहार के चुनाव के नतीजों के बारे में चर्चा की। तीन तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं- 23 फरवरी को बिहार विधानसभा के चुनाव का अंतिम परिणाम आया, 7 मार्च को पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सदन को निलंबित रखा गया , 22 मई की रात्रि में इसे विघटित कर दिया गया ।

उपसभापति महोदय, चुनाव के नतीजे सामने थे, किसी दल को बहुमत नहीं मिला था लेकिन दो बातें बहुत ही स्पष्ट थीं कि NDA 92 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी के राष्ट्रीय जनता दल की निर्णायक हार हुई थी। उनका अब तक का सबसे कमजोर और निराशाजनक प्रदर्शन हुआ था और उन्हें केवल 75 सीटें मिली थीं। जनमत अपने आप में स्पष्ट था। 21 मार्च की पूरी बहस में हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आज एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में हम राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करते हैं, सहमति करते हैं लेकिन यह स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और बिहार में सरकार बनाने के हर प्रयास को ढूंढा जाना चाहिए क्योंकि चुनाव सरकार बनाने के लिए कराए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए नहीं कराए जाते हैं। सदन की राय भी इसी प्रकार की थी और हमने सावधान भी किया था। मैं 21 मार्च के अपने भाषण की दो पंक्तियों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा, यह रिकार्ड की बात है। मैंने कहा था कि

''उपसभापति जी, राष्ट्रपति शासन हमारे सामने हैं लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को caution करना चाहता हूं कि यह स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है और बिहार के लोगों ने एक लोकप्रिय विकल्प की सरकार के लिए मतदान किया है और लोकप्रिय विकल्प का सम्मान होना चाहिए। अगर शासक दल यह समझता है कि संवैधानिक मजबूरी के कारण बिहार का शासन उनके हाथ में स्थायी रूप से रहेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। विकल्प की तलाश होनी चाहिए- चाहे वे लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हों, उनके नेता की बात हो, उनको भी अधिकांश मत राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में मिले हैं और उसका सम्मान होना चाहिए।''

उपसभापति जी, दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी, यहां भी लोगों ने भाषण दिए थे और सभी का विचार यह था कि राष्ट्रपति शासन स्थायी नहीं होना चाहिए। इस लंबी चर्चा का माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था। गृह मंत्री जी के उत्तर को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, यह रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह स्थायी नहीं होगा। हमें सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए।

उन्होंने क्या शब्द रखे थे? माननीय उपसभापति जी, मैं आज की चर्चा में उन्हें अवश्य रखना चाहूंगा, क्योंकि आज की चर्चा के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21 मार्च को माननीय गृह मंत्री जी का, बहस के बाद, जो उत्तर था, मैं रखना चाहता हूं। "But, I would like to make one point very clear. We are not very happy to impose President's Rule in Bihar. Let there be no doubt in the minds of any of the Members of the House; we are not happy. After the elections, we would have been happy if Government would have been formed by the elected representatives. That was not possible and, that is why, President's Rule was imposed. But we cannot take pleasure in saying, 'look, we did this'. We are not happy about it. I wish to assure this House that we would not like to see that President's Rule is continued for a long time. The sooner it disappears, the better it would be, for Bihar, for democracy and for the system that we are following in our country, But, who is to take the steps in this respect? It is the elected representatives who have to take the steps in this respect. The Governor can ask them and request them, and I would also like to request in this House, that the elected representatives should talk to each other and create a situation in which it becomes possible for them to form a Government. Even if it is a minority Government with a slight margin, there is no problem".

यह माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, सांसद हैं, संविधान को जानते हैं, नियम-कानून में पारंगत हैं और वे इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं से भी परिचित रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि विधान सभा के चुनाव हुए और किसी दल को बहुमत नहीं मिला। वैसे में क्या करना है? इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा ने इसका उत्तर दिया है। मैं दो विशेष उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 1996 के चुनाव में और 2002 के चुनाव में ऐसी स्थिति आई। 2002 के चुनाव के बाद तो दो महीने में सरकार बनी, लेकिन 1996 में 5 महीने के बाद सरकार बनी। शायद 17 अक्तूबर, 1996 को चुनाव हुआ था और मार्च 1997 में सरकार बनी, जब बसपा-भाजपा में बातचीत करके एक रिश्ता निकला। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय के राज्यपाल का सेंसर भी किया था-"make attempt to form a Government."

माननीय गृह मंत्री जी इन परंपराओं से परिचित थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने हाउस के सामने एक सोलेम एश्योरेंस दिया था कि विधायकगण बात करें, मैं उनसे अपील करता हूं, राज्यपाल उनसे आग्रह करें और सरकार बने। आदरणीय उपसभापति जी, जब विधायकों ने बातचीत करनी शुरू की तो क्या हुआ? 22 की रात में कैबिनेट की मीटिंग हुई, विधान सभा के भंग करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया। यह तब हुआ, जब नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए को 130 से अधिक विधान सभा के सदस्यों का पूरा बहुमत उपलब्ध हो चुका था। मैं इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करुंगा...(व्यवधान)... आप जरा पेशेंस रखेंगे तो सीक्वेंस समझेंगे ...(व्यवधान)... आज मैं एक सवाल करना चाहिता हूं और बहुत गम्भीरता से करना चाहता हूं। Dark deeds are associated with the dark hours of the light. यह किसी चिन्तक ने कहा है। यहां पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ माननीय गृह मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि How does he reconcile the solemn assurance given on the floor of this House on 21st March and what happend thereafter? उनका यह वक्तव्य किसी कार्यक्रम में नहीं था। उनका यह वक्तव्य इस सदन के पटल पर था, जहां पर उन्होंने अपील की थी, राज्यपाल से आग्रह किया था कि बातचीत करें और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर थोड़ी कम बहुमत से भी सरकार बने तो भी चलेगा, लेकिन विकल्प की सरकार बननी चाहिए।

यह कहा जा रहा है कि क्या कार्रवाई हुई? आदरणीय उपसभापति जी, मैं कुछ तारीखों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये तारीखें स्पष्ट रूप से बताना बहुत जरूरी है। 8 अप्रैल को 17 निर्दलीय विधायकों की बैठक होती है। श्री कौशल यादव हैं निर्दलीय विधायक, वहां पर रामदेव विधायक की अध्यक्षता में 17 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम सभी एन॰डी॰ए॰ को समर्थन देंगे, नीतिश कुमार को सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे। यह बात विस्तार से छपी। महोदय, 20, 21, 22 मई को लोक जन शक्ति पार्टी के विधायक सक्रिय हुए। उन्हें अधिकांश मत

आर॰जे॰डी॰ के खिलाफ मिले थे। वे भी विकल्प की सरकार बनाने के लिए उत्सुक थे। उनकी बैठक हुई और उस बैठक में 22 विधायकों ने यह निर्णय किया कि हम जे॰डी॰यू॰ में merger करेंगे और विकल्प की सरकार बनेगी। उसमें श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार सक्रिय थे, श्री राम प्रसाद सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी विधायक दल के नेता सक्रिय थे, श्री नाग मणि उनके राष्ट्रीय महा-मंत्री सक्रिय थे इस तरह एन॰डी॰ए॰ के 92, निर्दलीय 17 और लोक जनशक्ति पार्टी के 22- यह संख्या सीधे 133 हो जाती है। आदरणीय उपसभापति जी, मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, ब॰स॰पा॰ के 2 विधायक और विधायक और समाजवादी पार्टी के भी 4 विधायकों ने घोषणा की थी कि हम यहां नीतिश कुमार जी को विकल्प की सरकार के लिए समर्थन देंगे। महोदय, टी॰वी॰ में एक समाचार आने लगा कि कल नीतीश कुमार जी सरकार का दावा पेश करेंगे, राज्यपाल उन्हें बुलाएंगे। टेलिविजन चैनल पर 22 की रात को समाचार आने लगे और 22 को क्या होता है? महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और उस पर आदणीय गृह मंत्री जी का उत्तर भी जरूर सुनना चाहूंगा। आपने राज्यपाल से इस सदन में भी आग्रह किया कि बातचीत करने में वह सहयोगी बनें और जब बातचीत शुरू होती है तो उनकी ओर से वक्तव्य आने लगते हैं कि ''हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद-फरोख्त हो रही है, धमकाया जा रहा है। मेरे पास इसका प्रूफ है।'' हम लोग ये बातें सुन रहे थे और जब 23 तारीख को सदन भंग हो गया और 25 को पटना में उनकी प्रेस कॉफरेंस हुई जिसकी रिपोर्ट कई अखबारों में छपी है। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग की कोई शिकायत थी? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी। महोदय, मैं आपके सामने 25 मई के दिल्ली के इकॉनोमिक टाइम्स से कोट करना चाहता हूं जिसमें उसकी पूरी रिपोर्ट छपी है। "No particular complaint of horse-trading received."

यह दिल्ली का इकॉनामिक टाइम्स है। आदरणीय उपसभापति जी, एक बात और उठती है कि अगर हम बहस के लिए मान भी लें कि उनके पास कोई शिकायत थी तो क्या उनका विवेक बिल्कुल निर्बाल हैं। Is he completely free to take action in the manner he likes?

महोदय, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मैटर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस बात का निर्णय किया है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत हो तो राज्यपाल को क्या करना है। महोदय, हम बोम्मई जजमेंट की चर्चा बहुत करते हैं और मैं मानकर चलता हूं कि राज्यपाल बोम्मई जजमेंट को जानते हैं क्योंकि उन्होंने केन्द्र को जो पहली रिपोर्ट भेजी थी। उसकी रिपोर्ट की प्रति मेरे पास है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने बोम्मई जजमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त करके यह रिपोर्ट

बनायी है। महोदय, मैं बोम्मई जजमेंट के दो पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहूंगा। कर्नाटक के मामले में, बोम्मई साहब जब मुख्य मंत्री थे, यह शिकायत आई थी कि 7 एम॰एल॰एज़॰ से दबाव के कारण दस्तखत कराए गए हैं, वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। महोदय, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी रिट को डिसमिस किया था। वह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 118, 119 में कहा कि,

"In view of the conclusions that we have reached with regard to the parameters of the judicial review, it is clear that the High Court had committed an error in ignoring the most relevant fact that in view of the conflicting letters of the 7 legislators, it was improper on the part of the Governor to have arrogated to himself the task of holding, firstly, that the earlier 19 letters were genuine and were written by the said legislators of their free will and volition. He had not even cared to interview the said legislators, but had merely got the authenticity of the signatures verified through the Legislatures Secretariat. Secondly, he also took upon himself the task of deciding that the 7 out of the 19 legislators had written the subsequent letters on account of the pressure from the Chief Minister and not out of their free will. Again he had not cared even to interview the said legislators. Thirdly, it is not known from where the Governor got the information that there was horse-trading going on between the legislators."

Even assuming that it was ... the correct and proper course for him to adopt was to await the test on the floor of the House. The assessment of the strenght of a Ministry is not a matter of private opinion of any individual, be he the Governor or the President. It is capable of being demonstrated and ascertained publicly in the House. Hence, when such demonstration is possible, it is not open to bypass it and instead depend upon the subjective satisfaction of the Governor or the President. Such private assessment is an anathema to the democratic principle, apart from being open to serious objections of personal *mala fides*". तो उपसभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत स्पष्ट रूप से रख दिया कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत भी है तो गवर्नर को क्या करना है। मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ विधायकों ने डिजोल्यूशन को चैलेंज किया है। भारत सरकार की ओर से affidavit दिया गया है कि there was apprehension of horse trading. गवर्नर साहब बोलते हैं कि मेरे पास प्रूफ है। भारत सरकार बोलती है कि एप्रीहेंसन है। डिजोल्यूशन के बाद गवर्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। इसका क्या मतलब है? यह क्यों होना चाहिए?

इससे जुड़े हुए 3-4 सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि * ने निर्दलीय विधायकों से बात की। *क्या लोक जनशक्ति पार्टी से टूटे हुए विधायकों से बात की? ...(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) महोदय, गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहिए। ...(व्यवधान)..., यह रिकॉर्ड में भी नहीं जाना चाहिए। That is not fair. You can say 'Bihar Governor'. But, you cannot take his name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is Central rule there in Bihar. वहां सेंट्रल रूल है।..(व्यवधान).... प्रेसीडेंट्स रूल है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, मैं यही कहने जा रहा था। आपने कह दिया, बड़ी कृपा है। अभी वहां भारत सरकार का रूल है, जो गर्वनर के थ्रू चल राह है। क्या राज्यपाल जी ने ...(व्यवधान)...,

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): क्या राज्यपाल निराकार है? कोई नाम है न उनका? ...(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: सेंट्रल रूल है तब भी ...(व्यवधान).... अगर नियम में है तो ठीक है। अगर नियम में नहीं है तो काट दीजिए। ...(व्यवधान)....

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये एलिगेशन थोड़े ही लगा रहे है? हम तो यह पूछ रहे हैं कि क्या गर्वनर ने बात की? ...(व्यवधान).... तो गर्वनर साकार है न, गर्वनर निराकार नहीं है। ...(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैंने कहा कि अगर रूल में है तो ठीक है। अगर रूल में नही है तो ..(व्यवधान).... आप अलाऊ मत करिए। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: इसमें बहस क्या ...(व्यवधान).... मैं देख लेता हूं। ...(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान).... क्या यह की बात करना भी ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: इसमें बहस की क्या जरूरत है? रूल्स के बराबर होगा कि नही। ...(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: क्या रूल की बात करना आप हा का काम है? ...(व्यवधान).... आप बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राज्यपाल जी ने विकल्प की सरकार बनाने की क्या कोशिश

*Expunged as ordered by the Chair.

की? उन्होंने किन-किन विधायकों से बात की? उन्होंने कितने Independents को बुलाया? उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के किन-किन विधायकों से बात की कि क्या तुम्हारे साथ खरीद-फरोख्त हो रही है? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह एक अजीब स्थिति है कि न तो संविधान का पालन होता है, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन होता है, तो किस आधार पर रात के अंधेरे में यह निर्णय लिया गया? अब 22 तारीख की रात को बैठक करने की क्या जरूरत थी? उस दिन दिल्ली में बम-विस्फोट हुआ था। क्या देश के ऊपर कोई हमला हो रहा था? क्या देश की सुरक्षा परेशानी में थी? क्या कोई बहुत बड़ी आपदा थी? रात के अंधेरे में बैठक होती है और मेरा बहुत स्पष्ट आरोप है कि बिहार विधान सभा को भंग करने का कोई आधार नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने दबाव डाला कि अगर बिहार विधान सभा भंग नहीं करोगे तो केन्द्र सरकार की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो केन्द्र सरकार की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: (बिहार) क्या आप वहां मौजूद थे? ...(व्यवधान)...जब ये बातें हो रही थीं, तब क्या आप वहां मौजूद थे?...(व्यवधान)...महोदय, मैं यह सच्चाई जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...आपका टर्न आएगा तो आप बोलिए ...(व्यवधान)...नहीं, नहीं, आप बोलिए ...(व्यवधान)... आप जब बोलेंगे तो ...(व्यवधान)...इसका जवाब दीजिए ...(व्यवधान)... आप बैठिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: जब ये बातें हो रही थीं तो क्या रवि शंकर जी वहां मौजूद थे? ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय उपसभापति जी, माननीय श्री राम देव भंडारी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। उनको बोलना जरूरी है। ...(व्यवधान)...वह मुझे मालूम है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं हमेशा आपसे अच्छी बातों की उम्मीद करता हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: तो मेरा आपसे यह कहना था कि यह एक गंभीर बात है। संविधान की मर्यादाओं की हत्या हुई है और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि देश के कई संविधान विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणी की। इस पूरे कार्य को किसी ने भी नहीं सराहा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डा॰ मनमोहन सिंह जी से एक सवाल पूछना है। उनकी एक शब्दावली है — "Transparency and probity in the polity of the country" यह वाक्य बार-बार उनके भाषणों में आता है, आना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं,

अपेक्षा भी है। लेकिन, इस वाक्य का आचरण शासन के आचरण में दिखाई भी पड़ना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा भंग की गई, क्या वह ट्रांसपेरेन्सी और प्रोबिटी की परिभाषा में आती है?

उपसभापति जी, जैसा मैंने कहा, देश के कई संविधान विशेषज्ञों ने कहा है, मैं यहां सिर्फ एक गुणी संविधान विशेषज्ञ और एमीनेंट जूरिस्ट के दो वाक्यों को कोट करना चाहूंगा, जो संयोग से इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, मैं उनकी बहुत आदरणीय अनुमति से इसे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, आदरणीय नारीमन साहब, उनका ट्रिब्यून में एक लेख छपा था, उसके सिर्फ तीन वाक्य मैं यहां रखना चाहूंगा - "The President had to exercise his mature and considered judgment on which side of the line the disputed assertions fell - "corruption of democracy" or "murder of democracy" This he could only do after he had fully informed himself of the contentions on both sides of the fractured political specturum. But the President denied himself this opportunity. In this he erred, he gravely erred. I believe that this will be reckoned as one of the few (perhaps the only) questionable decision of importance taken by an otherwise highly conscientious, and most distinguished and lovable Head of State." मेरे ख्याल में उनकी जो पीड़ा है, उसको मैं अधिक सुंदरता से और अधिक गहराई से यहां प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यह लेख प्रत्यक्ष रूप से इस ओर संकेत करता है कि पूरे तथ्य भी वहां नहीं रखे गए।

उपसभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से और बहुत प्रमाणिकता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस सदन में, *मैं इस हाऊस में यह अपील करना चाहूंगा। कुछ बातें और भी कहनी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)....

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, may I intervene? Sir, the Governor enjoys an immunity. If you want to attack him, you shall have to bring a substantive motion under the Constitution of India with 14 days' notice. You can say that this judgement is wrong. But you are going to the extent of saying that he should be recalled. This is an allegation against him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give a ruling.

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, इस पर उत्तर यह है, बहुत विनम्रता से कहूंगा, कि यह हम गवर्नर साहब का रोल as a Governor नहीं देख रहे हैं, he is * of the Central Government. Bihar is under President's rule. (*Interruptions*) Bihar is under President's rule. तो यह एक गंभीर विषय है। हमको इस बात का पूरा अधिकार है।

*Expunged as ordered by the Chair

उपसभापति जी, अब मुझे दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। यू॰पी॰ए॰ के एक महत्वपूर्ण घटक RJD के नेता, जो रेल मंत्री है, उनके बिहार के प्रशासन प्रेम को मैं समझता हूं, उनकी राजनीति के लिए आवश्यक है कि बिहार के प्रशासन पर उनकी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से पकड़ रहे, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता, मुझे चिंता उससे बड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कलेक्टर्स की कांफ्रेन्स में कहा था कि आफीसर्स को ईमानदारी से काम करने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी निश्चित अवधि के लिए पोस्टिंग की जानी चाहिए, क्योंकि वे पूरे इंपलीमेंटेशन की प्रक्रिया के बहुत बड़े अंग हैं। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसी दिन वहां राष्ट्रपति शासन में बिहार के दो ईमानदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गोपालगंज के के॰के॰ पाठक और सीवान के सी॰के॰ अनिल, जिन्होंने यह करके दिखाया था कि एक महीने में डी॰एम॰ क्या कर सकता है, सी॰एम॰ क्या कर सकता है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया एक दबाव के कारण, क्योंकि उनका ईमानदार आचरण परेशानी का कारण बना हुआ था। अब तो डी॰एम॰ की बात छोड़िए,? अब तो चीफ सेक्रेटरी को पीड़ा से छुट्टी पर जाना पड़ रहा है। पूरे सिस्टम में चीफ सेक्रेटरी बाई-पास हो गया है। ये बातें अखबारों में छपी हैं। मैं उन सारे अखबारों की कतरनें आपके सामने उपस्थित कर करके अपना भाषण लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि वहां राष्ट्रपति शासन है, लोकप्रिय शासन नहीं है अर्थात राष्ट्रपति जी के नाम पर केन्द्र का शासन है, जो बिहार के राज्यपाल के माध्यम से चलाया जा रहा है।

यह कौन सी सरकार चल रही है है 17-17 IPS आफिसर्स का ट्रांसफर होता है और उसकी खबर बिहार के चीफ सेक्रेटरी को अखबारों से मिलती है, उसमें सीवान के उस ईमानदार बहादुर SP, रत्न संजय का भी ट्रांसफर होता है, जिसने कई बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और 15 वर्षों में सबसे ईमानदार चुनाव सीवान में कराया था? एक से एक क्वेश्चनेबल रिप्यूट के अफसर पोस्ट किए जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं है? यह सरकार आपके माध्यम चल रही है और अगर चीफ सैक्रेटरी को काम करने की छूट नहीं है, तो फिर कलैक्टर की बात ही क्या है। कोई rules of executive business है या नहीं है? बिहार के rules of executive business को मैं क्वोट नहीं करना चाहता, अपने अनुभव से आप जानते है कि पूरे प्रान्तों के रूल्स एक ही होते हैं, जिसमें सारा मूवमेंट चीफ सैक्रेटरी के द्वारा होता है और यहां पर चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं कहा है कि मैं बाई पास हुआ। गर्वनर साहब ने भी कहा है कि हमने उनसे कंसल्ट नहीं किया, यह पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक था। ईमानदार पदाधिकारियों को हटाया जाना, यह कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

हमें बहुत उम्मीद थी कि राष्ट्रपति शासन में बिहार का शासन बढ़िया होगा। आज बिहार में आतंक, हत्या, विकास का बंद होना, यह सब उसी प्रकार से चल रहा है। पटना में जल बोर्ड के प्रेजिडेंट का दिन-दहाड़े, पुलिस स्टेशन के पीछे मर्डर किया जाता है, जो राम देव बाबू की पार्टी के

हैं। कहां जा रहे हैं हम लोग? यह क्या हो रहा है बिहार में? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे बिहार का प्रशासन अभी राजनीतिक दबाव के कारण चलाया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में उसकी मदद ली जा सके, इसका हम घोर विरोध करते हैं। इस सदन के माध्यम से हम आपसे आग्रह करेंगे और चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि Officers of questionable integrity and work culture, जो पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको मॉनिटर किया जाए क्योंकि बिहार के लोग बहुत ऊब चुके हैं, इस पूरे प्रशासन की प्रक्रिया में।

उपसभापति जी, मुझे अंत में एक बात और कहनी है, जिसका संकेत मैंने पहले भी दिया था। आज बिहार, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, पूरे विकास के मार्ग में सबसे पीछे चला गया है। भारतवर्ष के सबसे अधिक गरीब बिहार में है। भारतवर्ष के सबसे अधिक अधिक कम पढ़े-लिखे बिहार में हैं। भारतवर्ष के सबसे अधिक रोगी बिहार में है। भारतवर्ष में सबसे कम पूंजी निवेश बिहार में हुआ है। भारतवर्ष में सबसे अधिक एसजीपीटी और टीके बच्चों को बिहार में लगे हैं। यह कौन सा बिहार बन गया है? 50 और 60 के दशक में, जब आपकी पार्टी की सरकार थी, तब Apple by Commission आया था, जिसने बिहार के बारे में कहा था कि Bihar is the best governed State in the country. आज उस बिहार की क्या स्थिति हो गई है? और पूरे पिछले चार महीने के शासन में कोई बदलाव का संकेत नहीं आया यह बहुत गंभीर बात है। इसलिए अंत में मुझे आपसे एक बात कहनी है, आपने चुनाव की तिथि की बात की है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह हमें शिरोधार्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन के नाम पर चुनाव को और अधिक बढ़ाने की कोशिश अगर सरकार द्वारा की जाएगी, पोलिटिकल दबाव में, तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे। यह हम बहुत ईमानदारी से कहना चाहते हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: चुनाव आयोग और आपके क्या संबंध हैं, उसकी चर्चा कभी और किसी दिन करेंगे। इसलिए चुनाव में विलम्ब नहीं होना चाहिए और यह जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है, यह बिल्कुल असंवैधानिक है, यह संविधान और नियमों के बिल्कुल विपरीत है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। बिहार के लोग बदलाव के लिए बैठे हुए हैं और इस अन्यायिक, असंवैधानिक कदम का वे पूरा विरोध करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI R.K. ANAND (JHARKHAND): Thank you, Sir, for giving me a chance to speak on this important topic of Article 356. I am delighted to hear my friend, Shri Ravi Shankar Prasad. And i am nappy that he has read paragrapn 118 of the judgment of 1994. But I want to remind him that

in 1994, Tenth Schedule was not amended. Some amendment took place in 2003 which is very relevant. So, paragraph 118 will not be relevant. I will come to that point later on.

Sir, centuries ago, the British House of Commons passed a resolution, whereby it was resolved that the offer of money or other advantage to any Member of Legislature, for promoting a matter to be transacted in the House of Legislature is a high crime and demeanors and which tends to subvert the Constitution. This is exactly what had happened in Jharkhand when the Government was formed. And the same was going to happen in Bihar if Article 356 of the Constitution would not have been invoked. We have read the Sarkaria Commission's report; we have read certain paragraphs of the judgment of the Supreme Court in S.R. Bommai's case. We are conscious of the fact that the Supreme Court did not say in 1994 that except in a situation where urgent steps are imperative and exercise of drastic powers under the article cannot brook delay, the President should use all other measures to restore the constitutional machinery in the State. The Sarkaria Commission has also said that this power should be exercised sparingly. .. (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): May I request Shri R.K. Anand to yield for a minute?

SHRI R.K. ANAND: All right.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, he has just made an allegation in this House. (*Interruptions*)

SHRI R K. ANAND: I am proving it by a CD. Will you please give me some time (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: Just a moment. He has just made an allegation that this is what happened in Jharkhand, and this was likely to happen in Bihar, and he read out from the House of Commons that it is high crime. I would like to know one thing from him. Has anybody been prosecuted for this either in Jharkhand or in Bihar or is it only a superficial allegation for taking advantage of the protection of this House, he is making this allegation?

SHRI R.K. ANAND: I am sorry, Sir. I am not making an allegation. Based upon a CD which is available, which has the record of the BJP M.L.A. * I will give it to you. (*Interruptions*)

---

*Expunged as ordered by the Chair

MR DEPUTY CHAIRMAN: The name of the person should not be mentioned. It will not go on record. आप उनका नाम यहां हाउस में मत लीजिए जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): पहले आप यह बताएं कि यह बिहार के बारे में आलोचना हो रही है या झारखंड के बारे में। ...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: Why are you raising it here? (*Interruptions*) Why don't you go and file a criminal case? (*Interruptions*)

SHRI R.K. ANAND: May I remind my friends as to what happened in S.R. Bommai's case? (*Interruptions*)

श्री रवि शंकर प्रसाद: झारखंड मुक्ति मोर्चा का केस तो आपको खूब याद है ...(व्यवधान)...

श्री आर० के० आनन्द: मैं यही तो चाहता हूं ...(व्यवधान)...आपको खुद मालूम है ...(व्यवधान)...

SHRI R.K. ANAND: Let us have a probe. (*Interruptions*) Sir, may I remind my friends as to what happened in S.R. Bommai's case and what led to the coming of this judgement? In 1992, the Babri Masjid was demolished. After demolition of the Babri Masjid, three Governments, excluding U.P., were dismissed, and their Assemblies were dissolved. I am talking of Himachal Pradesh, I am talking of Madhya Pradesh and I am talking of Rajasthan. It is in that reference this judgment has come. The question arose in that case was that if any action done by the Government or any action by political party which goes contrary to the spirit of the Constitution, then the President is justified in invoking article 356 of the Constitution of India. May I remind one of the paragraphs of that decision? In paragraph 151 of the decision they said, "Religious tolerance and equal treatment of religious groups and protection of their life and property and all the places of worship were an essential part of secularism. (*Interruptions*) We have accepted the said goal. (*Interruptions*) If you do not want to listen, it is all right.

श्री उपसभापति: आप उन्हे बोलने दीजिए, when you were speaking, he patiently listened to you. Let him speak अब वे आपकी बात तो नहीं करेंगे, उनकी बात ही तो करेंगे, आप सुनिए...(व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी (मध्य प्रदेश) उदाहरण के लिए आपको आपका चेहरा दिखलाना आवश्यक है।

†[ ] مولانا عبیداللہ خان اعظمی: اداہرن کے لئے آپ کو آپکا چہرہ دکھلانا آوشیک

श्री सुरेन्द्र लाठः कौन सा चेहरा? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI R.K. ANAND: It is our cardinal faith...(*Interruptions*). Mr. Ravi Shankar Prasad, please ask your colleagues to hear. We never disturbed you. You tell them this thing. This comes in your favour. Just see that. (*Interruptions*). "It is our cardinal faith that any professions, any actions which go counter to the aforesaid creed, are the *prima facie* proof of the conduct in defiance of the provisions of the Constitutions If, therefore, the President had acted on the aforesaid credentials of the Ministry in those States which had seen unforeseen imponderable consequences, it can hardly be argued that there was no material before him in coming to the conclusion that the Governments in these three States could not be carried on in accordance with the Constitution. Now, what happened in this case? In paragraph 223 of the same judgement, it says:

> "The exercise of power under article 356 by the President through Council of Ministers places a great responsibility on it and inherent therein are the seeds of bitterness between the Union of India and the States."

Kindly mark the following words:

> "A political party with people's mandate of requisite majority or of coalition with value-based principles or programmes and not of convenience—here mark the word "not of convenience"--are entitled to form the Government....."

The Government which was going to be formed in Bihar was a Government of convenience. That is what they have mentioned in paragraph 223. Kindly see what is contained in Schedule Xth of the Constitution. Shri Ravi Shankar Prasad said that there were so many MLAs who gave in writing that they were going to join the BJP or Shri Nitish's party to form a Government there . My friend is forgetting that Schedule Xth was amended in the year 2004 and Schedule 10 very clearly lays down that the merger of a political party is a must first, and thereafter it has to be agreed to by two-thirds of its legislators. I want to tell my friend to read clause 4 of Schedule Xth. Clause 4 of Schedule Xth says:

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

"A member of a House shall not be disqualified under subparagraph (1) of paragraph (2) where his original political party merges wtih another political party....."

Where was the merger of LJP with the other party? (*Interruptions*).... Now paragraph (2) says:

"For the purpose of sub-paragraph (1) of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the memebrs of the legislature party concerned have agreed to such merger."

So, first of all, there has to be a merger of a political party with another political party. That is number one. Thereafter it has to be agreed to by two-thirds of the MLAs. Now, in this case, what has happened? There was abduction of MLAs. I want to remind them that there is a decision of the Supreme Court which has come in the year 2004. The decision of 2004 of the Supreme Court is very relevant here. (*Interruptions*)... the Supreme Court judgement reported in 2004 SCC mentions.

"The scrutiny of the provisions means the provisions of Schedule Xth of sub-para (2) would show that a member of a House belonging to any political party becomes disqualified for being a member of the House if he does some positive act which may be either voluntarily giving up his membership of the political party to which he belongs or voting or abstention from voting contrary to any direction issued by the political party to which he belongs..."

Now, it clearly says that the moment you show your conduct, that is, if an MLA is going to join some other political party without the merger of the political, parties his disqualification occurs immediately. It further says:

"On the plain language of paragraph 2, the disqualification comes into force or becomes effective on the happening of the event".

The happening of the event is the very fact that you took the MLAs from Bihar to Ghatsila. You decided to take them. This was their conduct. They stood disqualities. This was contrary to Schedule Xth of the Constitution.

Now, I will remind you what the Supreme Court has said in regard to horse-trading. In paragraph 24 of the decision it says:

"As regards horse-trading by the legislators, there are no judicially discoverable and manageable standards to decide in judicial review."

My friend was talking all the time about the floor-test. Kindly see what the Supreme Court says. It says:

"A floor-test may provide impetus for corruption and rank force and violence by musclemen or wrongful confinement or volitional captivity of legislators occurs till the date of the floor-test in the House, to gain majority on the floor of the House."

What happened here? Exactly the same thing that happened in Jharkhand. They brought the people from Jharkhand to Delhi and then were taken to Rajasthan. This is contrary to what is contained in ...(*Interruptions*).

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, माननीय सदस्य ..(व्यवधान)..

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये।..(व्यवधान)..आप बैठ जाइये। ..(व्यवधान)..

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): उपसभापति जी, ..(व्यवधान)..

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, how can he say ...(*Interruptions*).

SHRI R.K. ANAND: Sir, Shri Yashwant Sinha stood up and said, "How the allegations are being made against certain people in regard to Jharkhand? I hope he has read this ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you cannot show it.

SHRI R.K. ANAND: Sir, I am reading it. I am sorry. I have got ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't show it. You cannot show it.

SHRI YASHWANT SINHA: He cannot show magazines in this House. ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have told him.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, stop him from doing so.

SHRI R.K. ANAND: Sir, I have got the CD with me. I am saying that the allegations have been made in it. The allegations have been made herein

that they paid Rs.1 crore to one MLA and Rs. 2 crores to other MLAs. It is recorded herein. I am saying ...(*Interruptions*).

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, he cannot make these allegations here. He must substantiate these allegations. How can he make these allegations without evidence?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not said it against any particular person.

SHRI YASHWANT SINHA: How can he make these allegations? It cannot go on record. ...(*Interruptions*). It cannot go on record. Sir, you must expunge it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will examine it.

SHRI YASHWANT SINHA: It must be expunged. He is making irresponsible statements in this House. ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*). आप बैठ जाइये। ..(व्यवधान)..

SHRI R.K. ANAND: I am sorry, Sir. I am saying that this is contained in the CD. The voice of* is there. ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't take the names. I have already told you. Please don't take the names of those who cannot defend themselves.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, if he has the courage ...(*Interruptions*)... instead of speaking under the protection of the House, let him go out and file a case. Sir, he has taken the name of an MLA in this House. ...(*Interruptions*).

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): सर, टी॰ वी॰ पर सारी दुनिया ने देखा है।...(व्यवधान).. टी॰ वी॰ पर सारी दुनिया ने देखा है।...(व्यवधान)...

डा॰ कुमकुम राय: घर में लोगों ने टी॰ वी॰ पर देखा है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be deleted.

SHRI YASHWANT SINHA: It must be expunged.

*Expunged as ordered by the Chair

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have expunged it.

SHRI YASHWANT SINHA: It must be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand, please don't take the names of persons who are not present here. You know the procedure.

श्री यशवंत सिन्हा: इन्होंने जिस तरह से वहां सरकार बनाई। That is a black mark on them and no water of the Ganga can wash it. और ये बातें यहां पर कह रहे हैं। ... (व्यवधान)...

Sir, has he taken your permission? What is this CD which he is talking about? ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing it. प्लीज सिट डाउन। आप बैठ जाइये। प्लीज आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...आप बोलिये।...(व्यवधान)...

SHRI R.K. ANAND: I am only saying that allegations have been made. They are there in it. ...(*Interruptions*).

SHRI YASHWANT SINHA: Allegations have been made outside this House. There is a rule which determines what allegations can be made in the House. Sir, has he given you notice? Has he given notice to the Chairman? ...(*Interruptions*).

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि यह कौन-सी सीडी दिखा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप क्यों बोल रहे हैं। ...(व्यवधान).. ..आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान). ... मिस्टर पाणि, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आपको बोलने की परमिशन नहीं है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: मान्यवर, सी॰ डी॰ के बारे में ...(व्यवधान)....

श्री यशवंत सिंहा: सर, इन्होंने सी॰ डी॰ का रेफरेंस दिया है। इन्होंने कैसे नाम लिया है? ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने अलाऊ नहीं किया है।...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: क्या इन्होंने नोटिस दिया है, यह सब दिखाने के लिए। ...(व्यवधान)... सर, यह झारखंड के एम॰ एल॰ ए॰ का नाम कैसे ले रहे हैं? ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: सर, यह इस तरह से हाउस में सी॰ डी॰ कैसे दिखा सकते हैं?... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये। ..(व्यवधान).. आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...

Production of exhibits on the floor of the House is not in order. Don't produce any exhibits which have not been shown to the Chair. It is not in order.

SHRI R.K. ANAND: I am giving you this CD. (*Interruptions*). I am giving it to the House. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't show exhibits. It is not relevant to the subject. This is not relevant to the subject. (*Interruptions*).

SHRI YASHWANT SINHA: What is this CD? I have also a document against what they have said. सर, वे आपकी बात कहां सुन रहे हैं? वे बार-बार सी॰ डी॰ दिखा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told him. (*Interruptions*) Please do not show the CD here. (*Interruptions*) Please don't do it. (*Interruptions*) वर्मा जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: सर, सदन को यह जानने का पूरा अधिकार है कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने आपको ऐलाऊ नहीं किया, तो आप क्यों बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने झारखंड के बारे में जो कुछ कहा है, वह सारा ऐक्सपंज किया जाए। ...(व्यवधान)... Jharkhand is not under discussion. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already expunged what is objectionable. (*Interruptions*) आप बैठिए। (व्यवधान)... जो ऑब्जैक्शनेबल है, मैंने वह ऑलरेडी ऐक्सपंज कर दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिंहा: सुप्रीम कोर्ट ने जो चपत इनको लगाई है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यशवंत सिन्हा जी, आप तो इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं ...(व्यवधान)... Please sit down. (*Interruptions*) पाणि जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप सीट पर जाइए। ...(व्यवधान)... No, no. This is not the way. आप अपनी सीट से बात कीजिए। जब चेयर परमिट करेगी, तब आप बोलिएगा, प्लीज़ ...(व्यवधान)... जो ऑब्जैक्शनेबल

था, I have expunged. I have expunged what is not according to the rules. (*Interruptions*)

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: सर, वे बार-बार सी. डी. दिखा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have cautioned him. आप क्यों बार-बार उठ रहे हैं? ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: सर, हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि सी. डी. में है क्या? वह किस बारे में है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... Mr. Anand, please. I am requesting you; please, do not do this. Please, do not show the CD. (*Interruptions*) आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप भी बैठ जाइए।...(व्यवधान)... I have told him.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: मान्यवर, आपके निर्देश के बावजूद भी वे बार-बार सी.डी. दिखा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं उनसे कहता हूं मैं उनको आदेश देता हूं, आप बैठिए, ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I want to know what is there in the CD.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, no. (*Interruptions*) Mr. Anand, once again I am telling you that the CD should not be shown. Otherwise ....(*Interruptions*)

SHRI R.K. ANAND: Sir, my friend, Shri Ravi Shankar Prasad, said that this had been quoted in the newspapers. (*Interruptions*) Now, I am saying what is quoted in this magazine. Why can't I say about this one? Allegations of corruption have been mentioned on the basis of this CD in this magazine. They say that one crore was paid to one MLA. It is contained therein.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: सर, ये गलत बोल रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, he is not yielding. (*Interruptions*)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): सर, ये गलत बोल रहे हैं। रवि शंकर प्रसाद जी ने किसी मैगज़ीन को, किसी अखबार को Quote नहीं किया है, किसी सी. डी. को quote नहीं किया है। ...(व्यवधान)...

श्री आर० के० आनन्दः आप भूल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवीः सर, ये सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand, you continue.

श्री मुख्तार अब्बास नकवीः बिहार पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये बिहार की चर्चा को डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से अनर्गल, बेबुनियाद इलज़ाम लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप बैठ जाइए, नकवी साहब, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI V. NARAYANASAMY: My point of order is this. The hon. Member, Shri Ravi Shankar Prasad, has not quoted any newspaper. That is what the hon. Member is saying. You go through the proceedings. Mr. Ravi Shankar Prasad mentioned from *The Economic Times* ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. This is no point of order.

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है? ...(व्यवधान)... सर, यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: He is quoting about the Bihar Government and he quoted from the *The Economic Times*. Kindly go through the proceedings.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. (*Interruptions*) Please continue, Mr. Anand.

SHRI R.K. ANAND: I am only saying that there is an allegation which has been made against them ...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, if they can quote, why can't he?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. (*Interruptions*) Please sit down. (*Interruptions*) आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI R.K. ANAND: Sir, I am only saying that widespread allegations have been made in the media, not in one paper but in a number of magazines, that the money has been paid to buy MLAs to form the

Government in Jharkhand. That is one. That is one thing I am saying. ...(*Interruptions*)—

श्री सुरेन्द्र सिंह लाठ: ये जो कर रहे हैं, ...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: How can he say that magazines have said that? (*Interruptions*)... He is trying to divert the attention of the House ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, आप बैठिए, मैं खड़ा हूं। ...(व्यवधान)... आप बैठिए भाई,

I am on my legs. Please sit down ...(*Interruptions*)... I cannot prevent a Member from referring anything ...(*Interruptions*)...While making his point, he may refer Jharkhand or Karnataka. Unless he makes any allegation against a person who cannot defend himself in this House, how can I ask him not to mention this or that? If he is adding any other thing, how can I prevent him not to mention those? ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am on a Point of Order ...(*Interruptions*)... Can he quote a magazine? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please quote rule ...(*Interruptions*)...

I will go into it ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः आपने अभी यह कहा कि वे कुछ भी रेफ्रेंस कर सकते है। वे कर्नाटक रेफर कर सकते हैं और वे झारखंड रेफर कर सकते हैं। सर रेफ्रेंस करना एक बात है, पूरी की पूरी स्पीच देना दूसरी बात है। ...(व्यवधान)...

श्री आर. के. आनन्दः मैं अभी बिहार के ऊपर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः मैं सुन रहा हूं, प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है। ...(व्यवधान)... वह प्वाइंट आफ आर्डर है। ...(व्यवधान)... अगर कल आप प्वाइंट आफ आर्डर बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, सदन के नियम ये कहते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है, आप उससे प्रासंगिक बात कहेंगे। इस समय जिस पर चर्चा हो रही है, वह बिहार की राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जाना है। ...(व्यवधान)...

श्री विजय सिंह यादवः वे सब कुछ कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: झारखंड के बारे में हो चुका है। ...(व्यवधान)... वह इन की दुखती रग है, वह एक अलग बात है। ...(व्यवधान)... बार-बार इनको झारखंड याद आता है, वह अलग बात है। लेकिन बिहार के राष्ट्रपति शासन की चर्चा करते हुए, झारखंड की बात करना, और जब से बोल रहे हैं, तब से झारखंड पर बोल रहे हैं। यह केवल रेफ्रेंस नहीं है, यह केवल विषयांतर है। ..(व्यवधान)... इस विषय पर चर्चा हो रही है, बिहार यह अलग बात है बार-बार अलग बात है लेकिन बिहार चर्चा करते समय झारखंड ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whenever you raise a Point of Order, you please quote the rule so that I udnerstand it and make appropriate ruling ...(*Interruptions*)... Under which rule are you raising the Point of Order? ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मेरा सैकन्ड प्वाइंट आफ आर्डर यह है, ...(व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: सर, ये प्वाइंट आफ आर्डर की बात कर रही हैं ...(व्यवधान)...

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، یہ پوائنٹ آف آرڈر کی بات کر رہی ہیں.....مداخلت...]

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठिए। आज़मी साहब, मैं प्वाइंट आफ आर्डर सुन रहा हूं

Please help the Chair ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरा पहला प्वाइंट आफ आर्डर यह था कि यह रेफ्रेंस नहीं, विषयांतर है। मेरा दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने चेयर से रूलिंग दी है, that the document cannot be exhibited without a prior notice. Therefore, it is not in order. In so many words you have said that it is not in order ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have even said about notice. But, he is not doing it. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसके बावजूद वे पिछले पांच मिनट से उसी सी.डी. की रट लगाए हुए हैं, तो आप उन्हें कहिए कि वे विषय से दूसरी तरफ जाएं और केवल बिहार की चर्चा प्रारंभ करें।

श्री उपसभापति: आप कंटिन्यु कीजिए, कंटिन्यु कीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: He was speaking only on ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: मिस्टर नारायणसामी प्लीज ...(व्यवधान)...

---

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

3.00 P.M.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, बिहार पर चर्चा हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप चेयर से रूलिंग दीजिए। आधा घंटा हो गया है और झारखंड ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: He was speaking only on Bihar ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, you must advice Mr. Narayanasamy ...(*Interruptions*)... Whether he is sitting in the Treasury Benches or in the Opposition ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। आनन्द साहब, आप जल्दी कनकलूड कीजिए।

SHRI R.K. ANAND: All the MLAs of the LJP were taken to Ghatshila and for what purpose they had been taken them there? I want to read one of the paragraphs of a decision of the Supreme Court. Kindly see that. The Supreme Court said, "These provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of a political party in a political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up and gets at election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of Paragraph 2(1)(a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation, leaves the political party which had set him as a candidate at the election, then he should give up his membership of the Legislature and go back before the electorate." I am saying that these people who are hijacked from Bihar have not been elected on BJP party's ticket. They were not following the Hindutva. The very fact is that they violated these provisions. They violated the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution. And, this empowered...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Anand, will you yield for a minute? You are an eminent lawyer of India...(*Interruptions*)...

SHRI R.K. ANAND: Yes ...(*Interruptions*)... Thank you very much.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: There is a provision for merger under the Tenth Schedule. I hope you remember that.

SHRI R.K. ANAND: My friend was not here when I said it. My friend has not read the amendment of 2004. My friend has not read the Supreme Court's judgement of 2004, which says, "The moment they violate these provisions, the disqualification occurs and they stand disqualified." And, I must tell you that article 164, clause 1(D) has been brought, in the Constitution that these people cannot become Minister. If they become Ministers, they stand disqualified on the same day. So, my submission is that by hijacking the MLAs and taking them to Ghatsila, you have violated the provisions of Schedule Xth. Your conduct shows that there was a violation of Schedule Xth So, they stood disqualified on that day, and there was no question of their joining any political party and forming a Government. Therefore, my submission is that the decision taken by the Government in recommending the dissolution of the House is proper and the Resolution be carried through.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, it is a tittle difficult for me to speak after two eminent lawyers have spoken. And, in between a sort of feeling was there as if we were in a court of law, not Parliament. The fact is that a Resolution is here for the House to adopt. I don't think there is any option here. It is a compulsion, whether you like it or not, because for reasons, which may be different from this side or that side, a Government could not be formed there. That is the crux of the problem. Really, it is not a good reflection on the system itself. Last time also we spoke on behalf of our party, we did not say that this was only a mistake, there were some problems from all sides that is why a Government could not be formed. Even the UPA Group thought we are supporting the UPA Group-probably, for the sake of the people of Bihar the secular parties should have been together, this problem could not have been there, and we would not have seen this spectacle which we have seen between these things; and we would not have restricted ourselves between Patna and Delhi rather we had gone of to Ghatsila, Jamshedpur and all that. That would not have been necessary, if a particular Government had been formed. Now, elections have to be held as soon as possible. From the day one, after these things have happened, elections have to be held as soon as possible. A suitable month has been indicated by the Election Commission. I am sure, the Government has already told, the Home Minister has already told it will not delay even by a day after an elected Government comes into power. We have to see that an elected Government Comes at the earliest. And, till that time the President's rule, which is being governed...

Regarding the role of the Governor, I have nothing to say except that in this very House, when the RJD Government was there, I had heard, time and again, from this side that they wanted *Rashtrapati Shashan*. Now, who will be the Governor? Whether 'x' or 'y', or, that Governor should belong to a particular socio-cultural organization who dictates the terms of a national political party regarding election of their President, well, that type of an organization should send a Governor or not, that I can't say. And, I don't think the people of this country, at large, would like some extra constitutional authority taking as their choice and their people should be the best Governors in this country. Well we don't accept that because this country do not accept that. That is the second part.

So far as the administrative matters are concerned, well, it should be done as transparently as possible. There are cases—I dont want to refer to, Mr. Yashwant Sinha is here — and there have been cases, the Finance Secretary had resigned sometime back, some people go on leave, but an honest and transparent administration should be there, whenever the *Rashtrapati Shashan* is there, it is expected from the Government. And, till that time, election time will be over and results declared, and the elections would be held in a peaceful atmosphere. And, I am sure this time this particular spectacle what we have seen will be over. रवि शंकर प्रसाद जी लोकतंत्र के सम्मान की बात कर रहे थे, मैं इसे मानता हूं लेकिन लोकतंत्र का सम्मान ऐसे नहीं होता, लोकतंत्र का सम्मान असेंबली में ही होगा। जब जमशेदपुर, घाटशिला, गैस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, पैंट हाउस, ये सब जब आ जाता है, इससे लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता नहीं है, बिहार का भी सम्मान नहीं बढ़ता है, गणतंत्र का भी सम्मान नहीं बढ़ता है। यह ख्याल जरूर रखिए कि किसी भी इलेक्शन में आप जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन इस देश का सम्मान हाईजैक ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: वोटर लिस्ट में हेराफेरी से लोकतंत्र का सम्मान होता है क्या?

श्री दीपांकर मुखर्जी: क्या हुआ पाणि जी? पाणि जी? आप यहां अच्छे दिखते हैं, वहां नहीं।

श्री रूद्रनारायण पाणि: वोटर लिस्ट में हेराफरी से लोकतंत्र का सम्मान होता है क्या?

श्री दीपांकर मुखर्जी: पाणि जी, आप यहां अच्छे दिखते हैं, वहां तो अच्छे नहीं दिखते, जब तक आप नहीं बोलते हैं।

श्री रूद्रनारायण पाणि: आप कहेंगे तो हो जाएगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी: मैं यही चाहूंगा। यह चाहते हुए भी कि रवि शंकर जी ने जो-जो कहा कि ऐसा होना चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसका फैसला जनता करेगी। अगर जो हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है, तो वे अदालत में चले जाते हैं। अदालत में जाना वे ज्यादा पसंद करते हैं। वे पार्लियामेंट से पहले अदालत पहुंच जाते हैं। They do not wait for a discussion here; they go to the court first. But the ultimate decision will be taken by the people; the ultimate decision will be taken by the people if they feel that whatever has been done is correct or not दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए यहां पर इतनी बहस की क्या जरूरत है? सबको मालूम है कि बिहार, झारखंड में क्या हुआ? बिहार के सम्मान के लिए मैं यही चाहूँगा कि बिहार में चुनाव हों। जिस तरह से सरकारें बनती हैं, इधर से, उधर से खरीदने से कोई फायदा नहीं है। करोड़ों-लाखों की बात करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ हो रहा था, वह सबको मालूम था। सब लोगों ने देखा था कि झारखंड में क्या हुआ है? सब लोग देख रहे थे कि बिहार में क्या हो रहा है? इससे किसका सम्मान बढ़ा है, न उनका सम्मान न बिहार का। जितने लोग राजनीति में हैं, गणतंत्र में हैं, रास्ते-रास्ते में, गली-गली में जाकर पूछिए, हम सब लोगों का सम्मान बढ़ा नहीं है, घटा है। हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसा न हो। अगर इसी उद्देश्य से Assembly was dissolved. Had that suspicion not been there; if that suspicion had been nipped in the bud, I will say, that would have been a good step. But the next step must be that the election should be held as early as possible. Thank you very much.

श्री उपसभापति: श्री भगवती सिंह। ...(व्यवधान)... आप बोलिए।

श्री भगवती सिंह (उत्तर प्रदेश): मैं उपसभापति महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संकल्प पर बोलने के लिए मुझे समय दिया।

मान्यवर, हम समाजवादियों की यह विवशता है कि इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। लेकिन जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि यह राष्ट्रपति शासन बहुत दिन न चले और जल्दी-से-जल्दी चुनाव करा कर वहाँ पर एक अच्छा शासन, जनता का शासन स्थापित हो।

मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि चुनाव के तत्काल बाद ऐसी स्थिति आई और उसमें इसी सम्भावना के साथ कि राष्ट्रपति शासन के बाद कोई सरकार बनेगी और वह जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन यह प्रयास नहीं हुआ कि जनता की चुनी हुई सरकार बनती और एक ऐसी सरकार बनती जो बिहार प्रदेश के दुख-दर्द को सामने रख सकती। मान्यवर, बिहार में जिन कारणों से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उनको अगर देखा जाए तो स्थिति और बदतर होती चली गई है।

उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्थिति और बिगड़ी है। विकास रुका है। मान्यवर, जो कानून-व्यवस्था है, वह बिगड़ा है और जो जनता का दुख-दर्द सामने आना चाहिए, वह नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह जो राष्ट्रपति शासन है, वह बिहार के लिए दुखदायी है। मान्यवर, मैं तो यही निवेदन करूँगा कि राष्ट्रपति शासन को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके, समाप्त किया जाए और वहाँ पर एक अच्छी चुनी हुई सरकार स्थापित हो। धन्यवाद।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, our Constitution provids elected Governments in the States as well as at the Centre. Sir, we are aware that there was a fractured mandate in Bihar. The contesting parties, though they ae partners in the UPA Government in Delhi, fought with each other in the elections. We are fully aware that the respective party leaders have said, time and again, that they will not form part of the Government. They were openly saying that they would neither support the other party nor form the Government. There was a stalemate. Everybody is aware of it. Why was the dissolution delayed in such a situation? Sir, we have been hearing about Jharkhand and other instances. The reason stated here is the 'horse trading of Legislators'. Sir, in the case of Goa, when a few MLAs had resigned, they joined the Government as Ministers, the Government was dismissed and the Assembly was kept in suspended animation.

AN HON. MEMBER: Sir, he is talking about Goa. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I must take the ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go ahead. You make your point. ...*(Interruptions)*... You say what you want to say. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, in Goa, when the MLAs resigned and joined as Ministers, the Government was dismissed and the Assembly was kept under suspended animation. Why was the Assembly not dissolved in Goa, Sir? It was because they were expecting a Congress Government to come in power, in the near future. That was the simple reason why it was delayed. Nowadays, it has become a rule of the land. People are resigning in the morning and joining the Cabinet. What sort of democracy is this? Take the latest case of maharashtra. There are floods in Mumbai. Parties are flooded with political party workers to join their parties. Sir, such is the state of democracy in the country at the moment. I do not think that others will appreciate our democracy. Sir, I cannot blame the RJD people. They will definitely realise it. Sir, their alignment

with the Congress will definitely cost them in the near future. Congress will never allow non-Congress Governments to function in the States. They will definitely realise this in the coming future. ...(*Interruptions*)...

डॉ॰ कुमकुम रायः सर, ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह यादवः आप अपनी चिंता करें, आर॰जे॰डी॰ की चिंता न करें। (व्यवधान)

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: I am not blaming you. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, their most respected leader, Shri N.T. Rama Rao was removed by their own party people, and not by us. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, please carry on. There is no need for you to answer their points ...(*Interruptions*)... Just speak on Bihar. ...(*Interruptions*)... Mr. Reddy, please speak on Bihar. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Definitely, Sir. ...(*Interruptions*)... Let me answer, Sir. We had changed the leader in Andhra Pradesh. We have elected a new leader. There is nothing wrong in it. It was done democratically. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not go into all that. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I never wanted to take the example of Kerala. But since the senior leader like Shri Vayalar Raviji started this, I would say that this whole game of destabilising the State Governments started in Kerala itself during the time of Shri M.S. Namboodiripad. Sir, is it not a fact?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; that is all part of history. ...(*Interruptions*)... Let us not bring it here. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, if this is part of history, then people should know. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not talk about all that. ...(*Interruptions*)... Let us discuss the current issue. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I had never cited the example of Kerala. ...(*Interruptions*)... Sir, once again I reiterate that I will

not blame the RJD, LJP or the NDA. It is only the congress Party which has been marginalised in big States like Bihar and UP, they want to have a proxy ruling in those States. They want to have a Central Government rule in those States. In the coming future, they will never come back to power either in bihar or UP. For this simple reason, they want to destabilise the State Governments. Now, they are creating problems in UP also. ...(*Interruptions*)... They will never succeed. You are very strong there. ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: They will succeed in Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Time will teach them many things. Sir, in the case of Goa. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you bringing Goa here? ..(*Interruptions*)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, you don't want me to go to Goa? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What will happen is, when you raise the issue of Goa, they will interrupt you. This will happen again and again. They will talk about Jharkhand and you will say something else, and all these things will happen ...(*Interruptions*)... Sir, I would not talk about Goa ...(*Interruptions*)...

Sir, I would request the hon. Home Minister to give a serious thought to the role of Governor. Till yesterday they were Chief Ministers and today, they have been made Governors. How could we expect justice from them? There are many such instances. You may say that the NDA had also appointed such people. I am not lending my support to that point. But nowadays, the role of Governor has become a critical one. Everybody is criticising the role of Governors, as in the case of the present Governor of Bihar. The Chief Secretary is not working there; nobody is willing to work there.

In the light of such a confused state of affairs, for which the Congress party is to be blamed, my only request to this august House is, as an

elected Government is the best suited for our democracy, kindly see to it that elections are held in the State at the earliest.

Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: डा॰ फागुनी राम।

डा॰ फागुनी राम (बिहार): उपसभापति जी, आपने हमें बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, यहाँ बिहार में गवर्नर्स रूल' पर चर्चा हो रही है। जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद गवर्नर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि MLA, विधायकों की 122 की संख्या लेकर कोई आ जाए, वह सरकार बना ले। RJD ने और उनके संगठन ने अपना क्लेम दिया और राजग ने केवल यह कहा कि RJD को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाये। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। जहां तक मुझे याद है, नितीश कुमार जी ने मीडिया के सामने कहा था कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, हम अभी सरकार नहीं बना सकते। इस प्रकार गवर्नर के सामने यह लाचारी थी कि राष्ट्रपति रूल के अलावा कोई दूसरा चारा था ही नहीं। 6 तारीख को उन्होंने रिकमेंड किया और केन्द्रीय सरकार के लिए 7 अप्रैल लास्ट दिन था, जब वहां राष्ट्रपति का शासन का अप्रूवल करना जरूरी था, क्योंकि अभी तक सरकार नही बन रही थी। इसलिए यह कहना कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ऐसी बात नहीं है। किसी संगठन ने, किसी गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए अपना पक्ष नहीं रखा। 122 का आँकड़ा महामहिम के पास नहीं ले गए, इसलिए राष्ट्रपति शासन लग गया। वह तो लगना था वह लग गया। राष्ट्रपति शासन लगा तो अच्छी बात है। साहब, राष्ट्रपति शासन लगने से हमें ऐसा लगा कि लोगों में एक विश्वास जगा है। लोग जो पहले कुछ त्राहि-त्राहि थे, कोई सशंकित थे, सेटिंग बगैरह की कोई बात थी, विकास की बात थी या ये सब बातें थी या अपने में आत्मविश्वास की कमी थी, उनका आत्मविश्वास लौटा। उन्होंने गवर्नर रूल के प्रति आस्था व्यक्त की और उनमें विश्वास जगा। विकास की गति में तेजी आई महामहिम ने यहाँ तक कहा कि कोई भी व्यक्ति हमसे पर्सनल बात कर सकता है, अपना ग्रीवांस रख सकता है, ताकि पब्लिक से उनका सीधा कनैक्ट हो और वे पब्लिक का काम कर सकें। इसलिए महोदय, राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था और राष्ट्रपति शासन में पब्लिक का विकास हुआ। हमारे पास ऐसा इसका सबूत है, जो पेपर में निकला था कि व्यापारियों ने, विद्यार्थियों ने, सर्विस होल्डर्स ने, किसानों ने, मजदूरों ने यह कहा कि इस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना अति उत्तम था और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लोग सरकार बनाने के बारे में कहते हैं कि ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा: लोग अब क्या कह रहे हैं? ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)....

डॉ फागुनी राम: आप सुनिए। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हम इसे पढ़ सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वर्मा साहब ...(व्यवधान)....इस तरह से नहीं कीजिए। ...(व्यवधान) ... उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान).... जब आपकी पार्टी का टाईम आएगा तो आप बोलिए। बैठकर क्या बोलते हैं ?

डा॰ फागुनी राम: महोदय, मैं यह कह रहा था कि लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों में विश्वास जगा। लोगों की आस्था जगी है। अब सवाल यह है कि इसके विकास की गति को कैसे तेज किया जाए। पहले से विकास की गति तेज हुई है। पहले से शांति-व्यवस्था आई है। लोगों में विश्वास जगा है। सभी लोग यह चाह रहे हैं कि इसको छः महीने के लिए रखा जाए। पब्लिक ने यह भी कहा था कि इसको एक साल तक रखा जाना चाहिए। आज खुशी है कि केन्द्र सरकार पब्लिक के विचार को मान्यता देते हुए बिहार में राष्ट्रपति रूल में 6 महीने की अवधि तक और बढ़ाकर उसे एक साल तक लगाने का प्रोविजन कर रही है। यह खुशी की बात है। हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यह गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बिहार, प्रांतों के विकास की सूची में जो सबसे नीचे है, हम समझते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर लाना चाहिए। और इसको ऊपर लाने के लिए, जो वहां जरूरत की चीजें हैं, उनका सर्वे कराकर वे सुविधाएं बिहार को मिलनी चाहिए। वहां की सरकार ने योजना-आयोग से जो मांग की हैं, मैं समझता हूं कि उसको देखकर वहां से विकास के लिए उन्हें मंजूर किया जाना चाहिए।

उपसभापति जी, बिना विभाजित बिहार के तीन अंश थे--एक उत्तरी बिहार, दूसरा मध्य बिहार और तीसरा दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में पूरी खानें थीं, पूरे उद्योग थे। बटवारे से आज के झारखंड को मिला 29 परसेंट लाइबिल्टीज और 71 परसेंट असेट्स और वहीं बिहार में बचा 29 परसेंट असेट्स और 71 परसेंट लाइबिल्टीज, इसका मतलब हम लोगों को, बिहार को स्वतः गरीबी मिल गई। इस गरीबी को दूर करने के लिए उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन उस समय वह स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। यह ठीक है, फिर हमारी सरकार आई, मैडम की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई और वहां स्पेशल पैकेज दिया गया, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि देश की प्रगति के लिए सभी राज्य प्रगति करें। अगर कोई राज्य अछूता रह जाए, अविकसित रह जाए, तो पूरे देश की प्रगति की बात कहना कठिन होगा। इसलिए बिहार, जो एक पिछड़ा प्रदेश है, उसका सर्वे कराकर देखा जाना चाहिए कि बिहार को दूसरे राज्यों के समकक्ष लाने के लिए वहां किन-किन चीजों की जरूरत है, जिनके लिए भारत सरकार को प्रायरिटी बनाकर एक विशेष प्रोग्राम देकर, एक विशेष एड देकर वहां की विकास की गति को तेज करना चाहिए।

उपसभापति महोदय, आज बिहार से काफी मजदूर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, मुम्बई में जा रहे हैं, जहां भी उन्हें सुरक्षा की भावना लगती है वहां जा रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि आखिर, वे वहां क्यों जा रहे हैं? वहां भी जाकर वे मजदूरी करते हैं, जो यहां मजदूरी करते थे। वहां उनके मन में सुरक्षा की भावना है, वहां उनको मजदूरी कुछ अच्छी मिलती है, व्यवहार अच्छा मिलता है और इसलिए वे वहां जा रहे हैं। हमारे उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर साल आता है। यह बाढ़ हमारे यहां विदेशी है, देश की नहीं है, आसमान की नहीं है, यह नेपाल की बाढ़ है, जिससे सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। दूसरा मध्य बिहार, जो आज का दक्षिणी बिहार हो गया है, वह सदैव सूखे से ग्रसित रहता है इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि आखिर वहां के लोगों की जीविकोपार्जन के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर लोगों के पास जीविकोपार्जन नहीं होगी, तो वे असंतुष्ट रहेंगे और उस क्षेत्र से कहीं बाहर जाएंगे। उनकी आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। खेती में उनको केवल तीन या चार महीने काम मिलता है, शेष आठ महीने उन मजदूरों को, किसानों को खाली बैठना पड़ता है और उस समय उनके लिए मजदूरी का काम शेष रहता है। मजदूरी के अलावा उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। जिस दिन उनकी मजदूरी बंद हो जाती है, उस दिन से उनकी भुखमरी शुरू हो जाती है। इसलिए उनकी मजदूरी के लिए देखना होगा कि कैसे वे अधिक से अधिक काम करें। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सौ दिन काम करने की गारंटी का कार्यक्रम सरकार चलाने वाली है, यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि जो नीडी आदमी हों, वे इसमें जरूर काम करें। फूड फोर वर्क की योजना भी अच्छी है, इंदिरा आवास योजना जो है, वह भी अच्छी योजना है। जितनी सरकार की योजनाएं हैं, ये सारी की सारी योजनाएं अच्छी हैं। मैडम इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, कांग्रेस सरकार ने, हमारी यू॰पी॰ए॰ की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बड़ी ममता के साथ बिहार के बारे में, देश के बारे में देखा है कि लोगों को कोई उपवास न करना पड़े, कोई भूख से न मरे, गरीबी न रहे और जहां तक गरीबी दूर हो सके दूर हो जानी चाहिए।

उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि इस बारे में और ख्याल करना चाहिए और ख्याल करने के, मेरी समझ में, दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि जो एक फसली जमीन है, उसको तीन फसली बनाया जाए। तीन फसली बनाने के लिए हमें लगता है कि एरीगेशन और पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बिजली का प्रावधान हो जाना चाहिए, एरीगेशन का प्रावधान हो जाना चाहिए ताकि बिहार के लोग इसमें अपना काम कर सकें।

उपसभापति जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन से लोग संतुष्ट हैं। इसे बढ़ाया गया है, अच्छी बात है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ ही मैं इसका समर्थन करते हुए आपकी इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उपसभापति जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत कल बिहार में कुछ साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों के बयान से करना चाहता हूं, उन्होंने कल एक बयान दिया और प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा, जिसमें कि बिहार के राष्ट्रपति शासन की कहानी के बारे में उन महत्वपूर्ण सम्मानित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुखों ने कहा है। बहुत बड़ी चिट्ठी है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने संभवत: देखी होगी। जो प्रमुख चीज उन्होंने कही हैं, जिसे कि मैं दोहराना चाहता हूं, वह यह है कि उन्होंने तीन सुझाव दिए हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में। उनका पहला सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन के बाद जो वहां पर स्थितियां पैदा हुई हैं-जिस तरह से मुख्य सचिव को ट्रांसफर-पोस्टिंग के बारे में नहीं मालूम, कुछ अधिकारी इस्तीफा देकर जा रहे हैं, कुछ अधिकारी छुट्टी ले रहे हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि श्री लालू प्रसाद को बिहार का राज्यपाल बना दिया जाए। दूसरा सुझाव उनका है कि * को श्री लालू प्रसाद का सलाहकार बना दिया जाए।

श्री उपसभापति: यह ठीक नहीं है। * का नाम न लें, वे गवर्नर हैं।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: और तीसरा सुझाव है कि वर्तमान में ...(व्यवधान)...

श्री विजय सिंह यादव: ये नाम लेकर कैसे बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: नकवी साहब, गवर्नर का नाम मत लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): ये उनका नाम लेकर कैसे बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह निकाल दीजिए रिकार्ड से।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: मैं उन तमाम सम्मानित संस्थाओं की जो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को दी गई है, उसको क्वोट कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: वह यहां हाऊस में क्वोट मत करो।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: और वह चिट्ठी समाचार-पत्रों में छपी है।

महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन का क्या बदनुमा चेहरा है, ये जो साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उन्होंने जो बयान की है, राष्ट्रपति शासन की कहानी, उसके बारे में ... (व्यवधान)...

श्री विजय सिंह यादव: यह छापने वाले आप ही है। ...(व्यवधान)...

डा॰ कुमकुम राय: सर, इन्होंने जो नाम लिए हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने वह निकाल दिए हैं। I have expunged it.

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: तीसरा सुझाव उनका यह था कि जो वर्तमान में ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: उपसभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपसभापति: क्या है?

श्री मंगनी लाल मंडल: अभी आपने नियमन दिया कि जो सूचना पहले नहीं दी गई है आसन को, उसके बारे में यह उल्लेख करना नियम के विरुद्ध है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: नहीं, नहीं, यह चर्चा हो रही है, बिहार पर चर्चा हो रही है।

श्री मंगनी लाल मंडल: इन्होंने इसके बारे में आसन को सूचना नहीं दी और न आसन से पूर्वानुमति ली है, जिसको कि इन्होंने क्वोट किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको कार्रवाई से एक्सपंज किया जाए क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है।

श्री उपसभापति: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव है कि जो वर्तमान में राज्यपाल जी के सलाहकार हैं, उनको राजभवन का दरबान बना दिया जाए। यह उनका सुझाव है, जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख हैं। ...(व्यवधान)....

श्री मंगनी लाल मंडल: हम तो आपको गंभीर आदमी समझते थे, आप ऐसी हल्की बातें कैसे कर रहे है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। बोलिए, नकवी जी।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: सर, यू०पी०ए० सरकार जिस तरह से राज्यपालों के विवाद में शुरू से घिरी रही है, वह उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि राज्यपालों को हटाए जाने से लेकर राज्यपालों की भूमिका तक, आपने कहा कि गोवा की चर्चा मत करो, लेकिन गोवा में राज्यपाल की भूमिका, झारखंड में राज्यपाल की भूमिका और बिहार में राज्यपाल की भूमिका, मुझे लगता है कि यू०पी०ए० सरकार, शुरुआत से लेकर आज तक, इन राज्यपालों की भूमिका, इन राज्यपालों के कामों की वजह से परेशान है और आज बिहार में जो कुछ हुआ है, बिहार में पिछले दिनों जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने जो कुछ कहा, जैसी कि अभी कांग्रेस की तरफ से भी एक बात कही गई कि राज्यपाल का जब शासन लगा था तो लोगों को महसूस हुआ था कि हो सकता है कि इस कुशासन से कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिले, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों को जो उम्मीद थी कि 15 साल के कुशासन पर कम से कम 6 महीने का राज्यपाल शासन राहत का काम करेगा, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। * इसका नतीजा यह हुआ, जो पूरे देश ने देखा कि चीफ सैक्रेटरी छुट्टी पर चले जाते हैं। ...(व्यवधान)...

*Expunged, as ordered by the Chair.

डा॰ कुमकुम राय: सर, यह आरोप है। ऐसा कोई सबूत ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: गवर्नर के कंडक्ट के ऊपर भाषण ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)... वह निकाल दीजिए। Remarks made on the Governor's conduct should be expunged. ... (व्यवधान)... यह एक्सपंज कर दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री विजय सिंह यादव: अपना बहुमत जीतने के लिये पीछे के दरवाजे से ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर इस राष्ट्रपति शासन में क्या असंवैधानिक काम हुए हैं, क्या गैर-कानूनी काम हो रहे हैं, किस तरह से जनता को त्रस्त किया जा रहा है और राज्यपाल की उसमें क्या भूमिका है, इस पर चर्चा तो होगी ही।

श्री उपसभापति: लेकिन कानून के दायरे में रह कर ही बोलिए। रूल्स एंड प्रोसीजर्स के दायरे में रह कर ही बात कीजिए (व्यवधान)...।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: बिल्कुल, कानून के दायरे में ही बोल रहा हूं, सर, रुल्स एंड प्रोसीजर्स के दायरे में ही बात कर रहा हूं। (व्यवधान)... मैंने इतना ही कहा है कि चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर गए, डी॰जी॰पी॰ कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स क्या हुईं। इससे पहले एक डी॰जी॰पी॰ थे ...(व्यवधान)...।

SHRI R.K. ANAND: What is the relevance of all this? ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is not necessary for us to discuss the transfers that are taking place in Bihar, and, if the hon. Member is raising this issue, I would like to inform the House that we will try to understand from the Governor and the officers in Bihar as to what has actually happened. Let it be put on record. Now, because the Election Commission had said that the elections could take place between October and November, it was necessary to see that the postings should have been done before the notification is issued.

Now, that is why they constituted a committee of not one person but of a few officers in which I think the Home Secretary, the Chief Secretary, the Advisor and the DG, they were all part of it. Then they sat together and they decided as to how the officers should be transferred, and, unanimously, they decided that ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए, जब होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं तो तब उनकी इन्फोर्मेशन ज्यादा औथेंटिक है या आपकी।

श्री दिग्विजय सिंह: चीफ सेक्रेटरी ने डिनाई किया है।

श्री उपसभापति: देखिए दिग्विजय साहब, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जब होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। He is making a responsible statement. You cannot say no ...(*Interruptions*)... No, no. That is not correct ...(*Interruptions*)... He is not quoting. The Government is replying. He is not quoting ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, when they sat together, they decided as to how to transfer the officers and then they prepared a note in which there was no consensus on two or three districts. On all other disctricts, there was consensus.

Now, in one of the districts in which the officer was there and on which there was no consensus, I am told that the officer wanted to come to a particular district because his son is sick and on death bed. So, a decision was taken on others also. So, excepting three districts, there was consensus amongst the officers who constituted the committee.

I don't know how a matter of this kind can be raised on the floor of the House. Now, the officer is not here, the Chief Secretary is not here, we don't have the full information, and, we are sitting in judgement on what has happened over there and saying that you have committed a mistake. Who has the authentic information here? Let it come before the House as a subject for discussion. We will collect the information and give it to you. But don't criticise the officers or the Governors in this fashion. This is not a subject which pertains to this debate.

श्री दिग्विजय सिंह: गृह मंत्री जी, मैं आपके ज्ञान का खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी ने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि कोई इस तरह की कमेटी नहीं थी, जिसकी उन्हें जानकारी हो, मैं इतना ही कह रहा हूं।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उपसभापति महोदय, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही, जब यह सदन बिहार में राज्यपाल शासन को बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके गुण और दोष, उसकी कमियां और अच्छाइयां, उन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी और जब गुण और दोषों के बारे में हम बात करेंगे तो निश्चत तौर पर पिछले तीन-चार दिनों में जो

ज्वलंत इश्यूज़ आए हैं, जो मुद्दा एकदम सामने दिख रहा है, वह मुद्दा है ट्रांसफर पोस्टिंग का। उसमें मुख्य सचिव का छुट्टी पर जाना, डी॰जी॰पी॰ का कहना कि हमें जानकारी नहीं और उसमें भी जो आदरणीय गृहमंत्री जी ने अभी कहा कि सहमति सब पर बनी थी, केवल तीन जिलों पर ही नहीं बनी थी, यही तो हम जानना चाहते हैं कि वे तीन जिले कौन से हैं? ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: डी॰जी॰पी॰ का कोई बयान नहीं आया है (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: यह वे अधिकारी हटाए गए हैं जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव के समय नियुक्ति कराई थी, जो ईमानदार थे, जिनके नेतृत्व में वहां पर निष्पक्ष चुनाव हुए थे, जिनके नेतृत्व में वहां पर अराजकता, गुन्डागर्दी और अपहरण का व्यापार कम हुआ था, उनको हटाने का काम हुआ है, यानी कि यह राज्यपाल शासन जो इस समय है वह कहीं भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है, कहीं भी आम आदमियों की रक्षा नहीं कर रहा है, वहां पर अराजक तत्वों को, उन लोगों को जो लोग बिहार को बदहाल कर रहे हैं उनका संरक्षण और रक्षक बन गया है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन का एक पल भी, एक-एक दिन रहना बिहार को कमजोर करेगा, बिहार में अराजकता पैदा करेगा और बिहार के विकास को बाधित करेगा। इसलिए हम राष्ट्रपति शासन के बढ़ाए जाने का विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि यह सरकार तत्काल वहां पर चुनाव कराए क्योंकि जनादेश का इन्होंने अपमान किया है इसलिए दूसरा जनादेश आए और वहां पर कुशासन खत्म हो। धन्यवाद। ....(व्यवधान)

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, यह चर्चा बिहार में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में हो रही है। महोदय, मैंने रवि शंकर जी को सुना, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और अभी नकवी साहब को भी सुन रहा था। नकवी साहब ने अपने भाषण के प्रारंभ में ही एक अखबार की चर्चा की थी। महोदय, आजकल, भारतीय जनता पार्टी में टेलीविजन और अखबार के केन्द्र में रहने वाले नेताओं की भरमार है, भले ही ग्राउंड लेवल पर उनका कुछ हो या नहीं हो। टेलीविजन और अखबार में वे हमेशा दिखाई पड़ते हैं, पढ़ने को मिलता है। महोदय, रवि शंकर जी ने अपने भाषण में कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा था कि बिहार में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें उनकी पार्टी और उसका गठबंधन 92 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन था। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव परिणाम आर॰जे॰डी॰ के खिलाफ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव रिजल्ट आर॰जे॰डी॰ के खिलाफ नहीं था, बिहार में चुनाव रिजल्ट साम्प्रदायिकता के खिलाफ था। क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ, क्या बी॰एस॰पी॰ उनके साथ या दूसरी छोटी-छोटी पार्टियां, उनके साथ जो 92 सीटें उनको मिलीं। उसके अलावा जितनी भी सीटें थी उनके विरोध में गई थीं, वे सीटें साम्प्रदायिकता के विरोध में थीं। इसलिए मैं कहना चाहता

हूं कि बिहार का रिजल्ट आर०जे०डी० के खिलाफ नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ था।... ... (व्यवधान)

श्री रूद्रनारायण पाणि: महोदय ..... .(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. यह बहस अब नहीं हो रही है, आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। ..... (व्यवधान)

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, 27 फरवरी को बिहार विधान सभा चुनाव का परिणाम आया। यह सही है कि किसी एक ग्रुप को या किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। इतना ही नहीं, 94 सीटों पर हम दूसरे स्थान पर थे, कैसे कोई कह सकता है कि चुनाव परिणाम आर०जे०डी० के खिलाफ था। महोदय, 6 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक हुई और श्रीमती राबड़ी देवी को सर्वसम्मति से विधायक दल ने अपना नेता चुना और उन्हें अधिकृत किया कि वह राज्यपाल महोदय के समक्ष सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करें। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी भी थे। वह और श्रीमती राबड़ी देवी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर गये थे।

महोदय, उस समय तक किसी भी दूसरे दल ने, किसी भी दूसरे ग्रुप ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार बनाने का दावा किया, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार देखने और सुनने को मिला कि पार्टियां जाती हैं राज्यपाल जी को कहने, हमें सरकार बनाने का अवसर दीजिए। एन०डी०ए० के लोग राज्यपाल जी को कहने के लिए गए कि राष्ट्रीय जनता दल को सरकार नहीं बनाने दी जाये।...(व्यवधान)...इसलिए कि वह सरकार बनाने में सक्षम नहीं थे।...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार: अगर आपके पास बहुमत था, तो सरकार बना लेते।...(व्यवधान)...

प्रो० राम देव भंडारी: हमको कांग्रेस का समर्थन था, हमारे साथ जो लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, हमारे साथ मिलकर सीपीएम ने चुनाव लड़ा था, एनसीपी के तारिक अनवर साहब बैठे हुए हैं, हमने वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सरकार बनाने का दावा पेश करते।...(व्यवधान)...

प्रो० रामबक्ष सिंह वर्मा: हम इतने बेसब्र नहीं थे।...(व्यवधान)...

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, ये कितने * हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: जब हमारी हिम्मत हुई, तो आपकी हिम्मत टूट गई।...(व्यवधान)...

*Expunged, as ordered by the Chair.

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मैं वही बात कहने जा रहा हूं।...(व्यवधान)...मैं वही बात कह देता हूं। मैं सन् 2000 की बात कर रहा हूं। वर्ष 2000 में विधान सभा का चुनाव हुआ। दिल्ली में एन॰डी॰ए॰ की सरकार थी इनके राज्यपाल वहां थे। उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्य मंत्री पद की शपथ दिला दी। नीतीश जी हाउस में बहुमत साबित करने के लिए गए, उस समय आपराधिक चरित्र के कई बाहुबली एम॰एल॰ए॰ जेल में बंद थे, उनको जेल से निकालकर वोट देने के लिए लाया गया। ...(व्यवधान)... इसके बावजूद भी वह बहुमत साबित नहीं कर सके और चुपचाप वहां से जाकर इस्तीफा दे दिया, क्या यह * की बात नहीं थी? उनको आपने मुख्य मंत्री पद की शपथ दिला दी। ...(व्यवधान)... दूसरी बात ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: यह लोकतंत्र में परम्परा है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पाणि साहब, आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)...Nothing will go on record ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधान मंत्री बने थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उनके लिए * की बात होगी।..(व्यवधान).. यह 1999 की बात है। यहां केन्द्र में इनकी सरकार थी। बिहार में श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार थी, इनके राज्यपाल वहां थे, वे अब दिवंगत हो गये हैं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उनसे इन्होंने रिपोर्ट करवाई कि बिहार का लॉ आर्डर खराब है और क्या किया? एक लोकप्रिय सरकार को, एक बहुमत की सरकार को, एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी, उसकी जगह पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या यह * की बात नहीं है?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं राज्यपाल जी को लगा कि कोई दूसरा विकल्प वहां नहीं है। ...(व्यवधान)... तो राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और वहां राष्ट्रपति शासन लगा। महोदय, उसके बाद चुनाव होना था, हम भी चाहते हैं कि वहां पर चुनाव हों, हम चुनाव से भागने वाले नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो और हमारी चुनाव के लिए तैयारी चल रही है। हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछला चुनाव भी हमने अकेले लड़ा था। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा एक समझौता था। हमारी जो जीती हुई सीटें थी, उस पर उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं दिया था। बाकी सभी लोगों से हमें लड़ना पड़ा था, चाहे वे अपने आपको सेक्युलर पार्टीज़ कहते हों या ये सांप्रदायिक पार्टी वाले लोग हों।...(व्यवधान)... हम अभी भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम चुनाव से भागने वाले नहीं हैं।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग हमेशा करते हैं, वैसे उनके अर्थ से उनको कुछ लेना-देना नहीं होता है। वे बोल रहे थे--संविधान की मर्यादा का सवाल

*Expunged, as ordered by the Chair.

उठता है, लोकतांत्रिक विचारों का सम्मान करना चाहिए। लोकतांत्रिक विचारों का ऐसे सम्मान होता है कि विधायकों को लाखों, करोड़ों रुपया देकर उनकी खरीद करें? उनका अपहरण करके एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएं? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under what rule?

श्री सुरेन्द्र लाठ: सर, इस प्रकार से बिना किसी ऑथेंटिसिटी के विधायकों द्वारा रुपया लिया गया, ऐसा कहना उन विधायकों का अपमान है और विधायकों का यह अपमान ...(**व्यवधान**)... ऐसा कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)... इस बारे में इनके पास इस प्रकार की कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह कहना बिलकुल गलत है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, देश के सभी समाचार-पत्रों में और जितने भी टी॰वी॰ चैनल्स हैं, इन लोगों की जो * थी या* था, सभी लोग देख रहे थे। हम सभी ने उसको देखा है कि क्या * की है? झारखंड में सरकार बनानी हो, तो उसके एम॰एल॰ए॰ को राजस्थान ले जाओ और बिहार में सरकार बनानी हो, तो बिहार के एम॰एल॰ए॰ को झारखंड ले जाओ। ...(**व्यवधान**)... यह कौन सा लोकतंत्र है महोदय? राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर, जो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, उसको बचाया। महोदय, रवि शंकर जी बिहार के कुछ बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे। * का नाम उन्होंने लिया था, इसीलिए मैं भी नाम ले रहा हूं।

श्री उपसभापति: नहीं, नाम नहीं लेना है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: इन्होंने लिया था। वे हमारी पार्टी से जीतकर आए, बी॰जे॰पी॰ में गए। बी॰जे॰पी॰ को छोड़कर राम विलास जी के साथ गए और राम विलास जी को छोड़कर आज इनके साथ गए हैं। ये महान नेता हैं इनके साथ! * कांग्रेस के नेता थे। वे एल॰जे॰पी॰ में गए, आज जे॰डी॰यू॰ में गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ: आपके यहां भी बहुत सारे नाम हैं, इधर से उधर जाने वाले। ...(**व्यवधान**) ...आपके साथ भी ऐसे लोग हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठिए.... See, I can allow, बीच में इंटरेप्शन ऐलाऊ करते हैं मगर now, you have made it a habit. आप हर दूसरे मैम्बर को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, यह बात सही नहीं है। अगर आप बात करते रहें और दूसरे आपको ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहें, तो आपको कैसा लगेगा? मेहरबानी से Don't do that. आप कुछ कहना चाहते हैं, तो चेयर से समय लीजिए और जो कहना चाहते हैं, कहिए। ...(व्यवधान)...

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसके ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं?

श्री उपसभापति: आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूं and I am giving the direction.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इनका दोहरा चरित्र है, दो-मुहांपन है। हाथी की तरह दो दांत ...(व्यवधान)...

श्री खनारायण पाणि: सर, ये बहुत गलत बातें बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठिए, पाणि जी। ...(व्यवधान)... आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए, There are procedures. अगर कोई Unparliamentary शब्द कहते हैं, तो उसको मैं निकाल रहा हूं। अभी इन्होंने * कहा था, वह Unparliamentary है, हम उसको निकाल रहे हैं। * शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हम देखेंगे, अगर और इस प्रकार के Unparliamentary words होंगे तो उनको हम निकालेंगे। ...(व्यवधान)... वर्मा जी, आप ऑब्जैक्ट कर रहे हैं, केवल इस वजह से मैं उसको ऐक्सपंज नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इनका राजनीति में दोहरा चरित्र है। इनके हाथी की तरह दो तरह के दांत हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। इनके गवर्नर, एक चुनी हुई सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। ये उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां पर सरकार बनने की कोई संभावना नहीं थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की, उसकी आलोचना करते हैं। महोदय, निश्चित रूप से गवर्नर का राष्ट्रपति शासन लगाना बिल्कुल उचित था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन जब चाहे चुनाव करा ले। मैं बिहार की स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार बिहार में आइडेंटिटी कार्ड, बहुत से मतदाताओं के पास नहीं थे। खासकर जो गरीब मतदाता थे, जो रूरल बैकग्राउंड से आते थे, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड की कमी थी। मैं ने कहीं समाचारपत्र में पढ़ा है बिहार में पहचान के 14 विकल्प थे, अगर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं हो तो 14 विकल्पों में से, यदि किसी एक विकल्प में उसकी पहचान हो जाए, तो उसे वोट डालने दिया जाता था। मैंने कहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या तर्क है, वे 14 विकल्प बिहार में नहीं होंगे, केवल आइडेंटिटी कार्ड से चुनाव में वोट डाले जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। महोदय, हम नहीं चाहते हैं कि बोगस पोल हों। हम फेयर पोल चाहते हैं, स्वस्थ चुनाव चाहते हैं। क्योंकि हम गरीब लोग ही स्वस्थ चुनाव में आगे आएंगे। हम गरीब की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज लालू प्रसाद के साथ कौन है? इनके साथ जाने वाले ये बाहुबलि, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, कौन गए हैं इनके साथ जो एलजेपी टूटा है, जिसको इन्होंने तोड़ा है। ऐसी बात नहीं है, लोग जानते हैं कि ये राम विलास

*Expunged, as ordered by the Chair.

पासवान जी से बात भी कर रहे थे, एलजेपी को किन लोगों ने तोड़ा? एलजेपी में 29 में आधे से अधिक लोग, आप बैकग्राउंड देख लीजिए, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, किस बैकग्राउंड के लोग थे? उनका किस प्रकार का आपराधिक रिकार्ड है? आई॰ए॰एस॰ आफिसर को मारने वाली बात है। अगर ऐसे लोगों को साथ लेकर नीतीश जी सरकार बनाएंगे तो उस सरकार का स्वरूप कैसा होगा? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: उपसभापति जी, लोक जन शक्ति तो इनके साथ है...(व्यवधान).... यूपीए का वायदा है, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, ...(व्यवधान)... भंडारी ही आप कनकलूड कीजिए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: (कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री) *

श्री कृपाल परमार: *...

श्री उपसभापति: किसको बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... गलत बात है। ...(व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार: माननीय मंत्री हैं, सरकार में...(व्यवधान)... *

श्री उपसभापति: इसको एक्सपंज कीजिएगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं आप से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगी कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस बहस के स्तर को थोड़ा सम्भालिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not correct to use that word in the House. I expunge it.

प्रो॰ राम देव भंडारी: मान्यवर, बिहार में एनडीए आजकल न्याय यात्रा कर रही है। आप देख लीजिए, उनकी सभाओं में, उनके अगल-बगल में बैठे हुए लोगों का चेहरा। आप उनके चेहरे देख लीजिए, ये ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के गरीबों, दलितों, शोषितों और पिछड़े लोगों की *। ये लोग आजकल NDA की न्याय यात्रा में घूम रहे हैं, क्या वह न्याय यात्रा है, वह तो न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप मेहरबानी करके ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो पार्लियामेंटरी हों। * शब्द भी अनपार्लियामेंटरी है, इसलिए मैं इसे कार्यवाही से निकाल रहा हूं...(व्यवधान) यह हमारी परंपरा है कि हम यहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो पार्लियामेंटरी हो और पार्लियामेंटरी गरिमा को बढ़ाए ...(व्यवधान) आप जो भी कहना चाहते हैं, वह कहिए मगर सही अलफाज़ का इस्तेमाल कीजिए ...(व्यवधान)...

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री रूद्रनारायण पाणि: यह सदन नहीं चलेगा सर ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: मैंने कह दिया है ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: राम देव जी के सारे तर्क समाप्त हो गए हैं क्या, जो ये गाली-गलौज पर उतर आए हैं? किसी को * कह रहे हैं, किसी को * कह रहे हैं, माननीय सांसद को खड़े होकर * कहा, यह क्या हो रहा है ... (**व्यवधान**)

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैंने नहीं कहा ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषम स्वराज: कम से कम भाषा की शालीनता बनाए रखिए ... (**व्यवधान**)

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं उन्हें * नहीं कह रहा हूं ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने कहा कि जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वे * ... (**व्यवधान**) कौन किसको कह रहा है जरा ध्यान रखिए ... (**व्यवधान**)

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध ... (**व्यवधान**)

श्री कृपाल परमार: माननीय उपसभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। माननीय मंत्री जी बताएं कि मेरे खिलाफ कौन सा केस है, कौन सी FIR है ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: जो मैटर एक्सपंज हो चुका है, उसे आप नहीं उठा सकते, वह रिकॉर्ड में नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्री कृपाल परमार: रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन हाऊस में खड़े होकर कहा है... (**व्यवधान**) यह गलत बात है ... (**व्यवधान**)

प्रो॰ राम देव भंडारी: उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्रोध की बात है ... (**व्यवधान**)

श्री कृपाल परमार: प्रेमचन्द गुप्ता जी ने खड़े होकर कहा है ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: मैं कह रहा हूं कि वह रिकॉर्ड पर नहीं है ... (**व्यवधान**) आप उसे रिव्यू करना चाहते हैं क्या ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मंत्री जी ने खड़े होकर कहा है तो ... (**व्यवधान**) एक्सपंज तो आपने कर दिया लेकिन जिन्होंने कहा है, वे कम से कम खड़े होकर उसे वापस लें ... (**व्यवधान**) प्रेम जी, आप खड़े होकर विदड्रा करिए ... (**व्यवधान**)

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

4.00 P.M.

श्री कृपाल परमार: उपसभापति जी, मुझे बताया जाए कि मुझे किस आधार पर * कहा गया है ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने माननीय सांसद को * कहा है ... (व्यवधान) क्या वह * हैं, वह * हैं क्या ... (व्यवधान) आप खड़े होकर इसको विदड्रा करिए और विवाद को समाप्त करिए ... (व्यवधान) इस तरह कोई कुछ भी कह देगा ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप अपनी जगह पर जाइए ... (व्यवधान)

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा: जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है, उसके लिए मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, सदन के पटल पर खड़े होकर मंत्री महोदय ने माननीय सांसद को कहा है कि यह सबसे बड़ा * है, केवल एक्सपंज करने से यह मामला हल नहीं होगा। मंत्री जी स्वयं खड़े होकर माफी मांगें और इसको विदड्रा करें, तब यह मामला समाप्त होगा ... (व्यवधान) उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा है ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That word is expunged. (*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब कहां चले गए गृह मंत्री ... (व्यवधान)

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, with due respect to the House, to you, to the Members, they go on raising and saying all sorts of things like दागी मंत्री है, दागी मंत्री है, क्या आपको कोई अधिकार है ऐसा कहने का, आपका कोई authorisation है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: ''दागी मंत्री'' हमारा राजनीतिक मुद्दा है ... (व्यवधान)

SHRI PREM CHAND GUPTA: are you above the law? (*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसका मतलब यह है कि वे जस्टिफाई कर रहे हैं ... (व्यवधान)

SHRI PREM CHAND GUPTA: are you above the law? (*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: गुप्ता जी, आप नयी बहस मत उठाइए ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह हमारा राजनीतिक मुद्दा है ... (व्यवधान) वे जस्टिफाई कर रहे हैं ... (व्यवधान)

SHRI PREM CHAND GUPTA: They must follow the parliamentary ... (*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: गुप्ता जी, आप नयी बहस मत उठाइए। सवाल यह है कि मैंने एक्सपंज किया है। उनकी रिक्वैस्ट है कि किसी ऑनरेबल मेंबर को आपने कुछ कहा है ... (व्यवधान)

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन इनको भी अपनी जगह पर कंट्रोल करना होगा। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे स्वयं विदड्रॉ करें, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, सदन की कार्यवाही बाधित होगी ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: मैंने एक्सपंज कर दिया है ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: तब तक हम नहीं मानेंगे ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: सुषमा जी, मैंने एक्सपंज कर दिया है ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक मंत्री ने मेरे माननीय सांसद को यह कहा है कि वह * है। यह कहा है कि वह * है। ... (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: उनके हिसाब से हाउस चलेगा। हाउस के हिसाब से हाउस नहीं चलेगा ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, हम अन्दर इज्जत के लिए आते हैं। हम इसलिए नहीं आते कि एक मंत्री मेरे माननीय सदस्य को कहे कि तुम * हो और आप कहते हैं कि कार्यवाही चलेगी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा है कि ... (व्यवधान)... गुप्ता जी, आप क्यों ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे विदड्रॉ करें ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप विदड्रा कीजिए न ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: और बिना कंडीशन के, बिना इफ एंड बट लगाए विदड्रॉ करें ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए न ... (व्यवधान)... गुप्ता साहब खड़े हैं, आप बैठिए न ... (व्यवधान)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, ... (व्यवधान)... Sir, I am also a human being and a Member of this House, I also have the right to express myself. सुषमा जी को हम सब लोग समझते थे कि वे हम सबकी दीदी हैं और हम लोगों का खास ख्याल रखती हैं। आज आप जो यह बोल रही हैं कि आपने गलत किया ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपको * कहने के लिए इजाजत दे दूँ। मैं आपको लाइसेंस दे दूँ कि आप मेरे सांसदों का अपमान करें, उनको * कहें। दीदी होने का यह अर्थ है ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप ठहरिए। हाउस तो चलने दीजिए ... (व्यवधान)...

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सुषमा जी, जब ये दागी बोलते हैं, तब आप इनको क्यों नहीं चेक करती हैं. .. (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: दागी मंत्री एक पॉलिटिकल टर्म है, tainted minister.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: तो * क्या है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये कह रहे हैं कि * क्या है ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इसके ऊपर बहस मत कीजिए ... (व्यवधान)... जाइए, आप उधर जाइए ... (व्यवधान)... Whatever is unparliamentary, I have expunged it. Now I leave it to the hon. Member. If any Member is hurt by his remarks, I leave it to the hon. Member.

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये अनकंडीशनल विदड्रॉ करें तो कार्यवाही आगे चलेगी।

श्री उपसभापति: मैं किसी मैम्बर को मजबूर नहीं कर सकता कि विदड्रॉ करें। मैंने एक्सपंज किया है I have expunged it. I am requesting the Member not to hurt the feelings of anybody.

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसका मतलब है ... (व्यवधान)... he can get away with anything and everything.

श्री उपसभापति: आप जानते हैं कि जब अनपार्लियामेंटरी वर्ड आता है, किसी को एलिगेशन करने की बात होती है तो The Chair has taken cognisance of it and I have expunged it.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, केवल ऐसा नहीं है। यह आरोप है, * कहा है, *। क्या आज से पहले इन चीजों पर खेद प्रकट नहीं करवाए गए, विदड्रॉ नहीं कराए गए इस तरह के एलिगेशन ... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under what rule should I ask him? (*Interruptions*).

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, हम इस ... (व्यवधान)... को नहीं मानेंगे ... (व्यवधान)...अगर आपको यह सदन चलाना है तो वे विदड्रॉ करें ... (व्यवधान)...अगर आपको यह सदन चलाना है तो वे विदड्रॉ करें ... (व्यवधान)...

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: What about the tainted Members of Parliament? (*Interruptions*).

श्रीमती सुषमा स्वराज: संसदीय कार्य मंत्री से पूछिए कि किसी को * कहने के बाद चलेगा। आप विदड्रॉ करें और सदन की कार्यवाही चलाइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN I would like to make it very clear. (*Interruptions*) नहीं, मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा। I am not going to allow any debate. आप बैठिए, मेहरबानी कर के बैठिए, प्लीज बैठिए।... (**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, आप बैठिए।

SHRI FALI S. NARIMAN: (Nominated): Sir, we should see to it that no Member of this House says anything provocative. It is a very important debate. We are all debating a Resolution on which there is much to be said from both the sides. I would earnestly request all hon. Members to (*Interruptions*) I thought that this was going on rather well, with all this little rancour. Please. Let us not call each other names. Let us all avoid it. If we do not say anything on either side, it will get avoided. So, do not say, "Who said it?".

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सर अब settle हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, इधर से किसी ने * नहीं कहा है, किसी ने * नहीं कहा है, इसलिए फाली जी, आप दोनों को equate मत कीजिए। कोई भी माननीय सदस्य अगर दूसरे माननीय सदस्य को * कहता है तो उसको withdraw करना पड़ेगा। आप withdraw कीजिए। ...(**व्यवधान**) ... आप gracefully विदड्रा करिए और सदन की कार्यवाही चलाइए। ...(**व्यवधान**)... आप gracefully विदड्रा कीजिए। आप दीदी की बात मानकर विदड्रा कीजिए। अगर दीदी कहते हैं तो दीदी की बात मानकर विदड्रा करिए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सर, मैं दीदी की बात मानता हूं, विदड्रा करता हूं। सर, कर लिया।

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, मैं बिहार की बात कर रहा था।

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आपकी पार्टी का जितना समय था, उससे double समय हो गया। प्लीज कंक्लूड।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार बरसों तक feudal और सामंतवादी ताकतों के हाथ में रहा है। महोदय, ये ताकतें आज एन॰डी॰ए॰ के साथ हैं। बिहार में डा॰ राजेन्द्र प्रसाद, जन नायक, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, डा॰ राम मनोहर लोहिया,

*Expunged, as ordered by the Chair.

रामानन्द तिवारी–इन सभी नेताओं ने इन फ्यूडल लोगों के खिलाफ, सामंतवादी लोगों के खिलाफ संघर्ष किया है। गांधी जी फ्यूडल लोगों के खिलाफ चंपारन गए थे ... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, आप पूरी डिबेट में बहुत मदाखलत करते हैं। यह ठीक नहीं है। बात करने की एक लिमिट है, I will request the leaders to advise him.

प्रो॰ राम देव भंडारी: आज बिहार में सामाजिक न्याय की ताकत बढ़ी है। नीतीश कुमार जी भी वहीं से आए थे, आज वह फ्यूडल, सामंती ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विगत चुनाव में गरीब लोगों को, अल्प-संख्यकों को, सामाजिक न्याय के लोगों को थोड़ा बरगलाया गया था। कुछ लोग हम से अलग हुए, उन्हें बरगलाया गया, मगर आज बिहार में वे सभी लोग फिर से सेक्युलर फोर्सेस के साथ हैं। महोदय, पिछली बार के चुनाव में एन॰डी॰ए॰ को कुछ सीट्स बढ़ाने का मौका मिल गया, मैं सेक्युलर फोर्सेस से निवेदन करना चाहता हूं कि यू॰पी॰ए॰ की तरह बिहार में भी सेक्युलर फोर्सेस की ताकत एक होनी चाहिए। अगर सेक्युलर फोर्सेस की ताकत एक जुट हो चुनाव लड़ेगी तो 92 सीट्स की बात छोड़ दीजिए, ये कहां जाएंगे इनका पता नहीं चलेगा।

महोदय, रवि शंकर जी अभी 130 के आंकड़े की बात कर रहे थे।

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप कंक्लूड कीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: वह 130 का आंकड़ा कहां से आया? आपने उनकी खरीद-बिक्री की, आप ने लेन-देन किया। क्या इस प्रकार की सरकार लोकतंत्र के लिए हितकारी है, क्या इससे लोकतंत्र का सम्मान होगा, लोकतंत्र की मर्यादा कायम होगी? इसलिए मैं श्री रवि शंकर प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो जनता का विश्वास प्राप्त कीजिए। आप दल-बदल कराकर, खरीद-फरोख्त कराकर सरकार बनाते हैं, वह बहुत निन्दनीय है, * है। लोकतंत्र के लिए * है। महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर बिहार में Identity Card सभी गरीबों को मिल जाना चाहिए। यह सरकार सुनिश्चित करे या Election Commission सुनिश्चित करे कि बिहार में गरीबों को Identity Card मिले उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. P. C. ALEXANDER (Maharashtra): Sir, it is with some sense of sadness that I rise to offer my comments, first, about the imposition of President's Rule in Bihar and now about the extension of President's Rule

*Expunged, as ordered by the Chair.

in that State. Those of us who have had great interest in the progress of our country on proper democratic lines were expecting that after the judgment of the Supreme Court in the famous Bommai Case, we may not have an occasion even to debate whether introduction of President's Rule was right and Constitutionally proper or wrong. But, unfortunately, when there were 100 cases before the Bommai judgment, of which in an overwhelming majority of the cases there had been misuse of power in imposing or invoking Article 356, we believed that chapter was closed for our country. But, again, we find that we have an occasion to go into this issue in this august House. One point I wish to make clear at the very beginning. This is not the occasion to discuss the transfer of DSPs or Collectors by Governor exercising his power. In fact, this is the occasion which we should utilise, for going into the merits of the decision to impose President's Rule and the merits of the decision to continue that. If we detract from the main principles involved, we will end up in no debate and nobody will be wiser about it. There have been complaints in Bihar about the misuse of power at one level, misapplication of law at the second level and inadequate application of mind at the third level. We have to really examine whether these complaints at the three levels of decision-making in the Bihar case are genuinely made or are sustainable. In the Bommai Case, the decision for imposing President's Rule or continuing with President's Rule is not made by a Governor. Actually, if you examine the number of cases where President's Rule has been imposed, you will find that the role of the Governor in these cases has not been as great as the ordinary people think it has been. The Governor has often played a role at the wishes of others who control him—not as Governor, or who controlled him before he obtained the position of the Governor. Therefore, the Governor often is a very much misunderstood person in the whole process of invoking Article 356. However in the case of the Governor in Bihar what I still do not understand, after studying the process of decision-making, is why he had to wait for three long months keeping the Assembly under suspended animation to recommend President's rule. If he found that nobody was having a majority in the House, he should have given a chance to the person who was claiming that he had the largest number and if he was given a chance, he would prove his majority. I would have welcomed if the Governor had called Lalu Prasad Yadav, who claimed the majority—after his finding that nobody else could outnumber him—to see whether he could form a Government. If he had failed, he could have called the next person, who claimed to form

the Government. And, if he had also failed, the Governor should have recommended to the Government of the Government of India as to what he thought was necessary, that is, imposition of the President's rule. I want to remind the august House that the first and primary duty of a Governor is to see that a popular Government is formed and not to have his own Government. It is his primary duty to ensure that a Government, elected by the people, is formed, and the claims of the people to form a Government are carefully examined and looked into, and they are given a chance to, at least, prove themselves right or to prove themselves wrong. But there has been failure on that count. He waited for nearly four months, from February to May, to make up his mind that no Government can be formed. If a Governor thinks, in a hung Assembly, that no Government can be formed he will be guilty of or manoeuvring an opportunity for himself to be the ruler of the State for a long period. Forgive me if I quote my own example, or, my own personal decision. In 1999 when I found that neither the BJP-Shiv Sena combine nor the congress, on the other side, could form a Government. Several people gave me unwanted, unsolicited advice that this was the right time for me to recommend President's rule because the Congress and the NCP had fought each other and I could not trust them to give a stable Government. But I decided to give a chance to the Congress and the NCP, though they were fighting with each other, even during the time of negotiations. I waited and I gave them a chance. And, then, I found that they were still not coming forward to form a Government. I put a deadline and said, "If you, by this date, this hour, don't come to me with your decision to form a Government, I will do what I think is necessary". That message went down. And, they came to me patching up their differences. The duty of a Governor is not to create an opportunity for him to rule, but to allow a popularly elected Government to be formed.*

I am sorry to say that the second level of decision-making, the Cabinet of India, I am afraid many of us outsided to the decision-making process, did not expect that the Government would recommend, at a midnight meeting, to the President of India, who was away in Moscow, that they should impose by dissolving the Assembly, which had been kept in suspended animation, be established in its place. That was the second stage of decision-making. Sir, in my humble opinion, the Cabinet was not being fair to the President of India. If they had respected for the institution of the President, I wish they had chosen a different path, instead of telling

*Expunged, as ordered by the Chair.

him at midnight that such and such message was coming to him and he was expected to accept their advice. It was being very unfair to the President of India. He had no time, no opportunity to consult even what was stated in the Bommai judgement as he had no copy of the Bommai judgement with him. And, in such situation, to ask a person, camping in the capital city of Russia, to give a decision on the matter, which had been pending for nearly three-and-a-half months, within that night itself was certainly not being very fair to the President.

Now, I come to the third part of the decision-making.

Therefore, he chose to exercise his powers under article 74 (1). The President is not bound to accept whatever the Cabinet tells him to do, as that way, there need not be a President. The Cabinet can ask its own Cabinet Secretary to issue the notification. The Constitution provides under the proviso to article 74 (1) that the President can send back this case for reonsideration by the Cabinet. This was a very important case, particularly, after the Bommai Judgement. *...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: I don't want any arguments ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: President's office should not be ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: Unfortunately, *...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, President's office should not be ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a point of order ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vayalar Ravi, I have already pointed out to the hon. Member not to mention about the President's office and his decisions are final and that should not be ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: *Therefore, when we examine these three stages, we will find that there have been lapses at various levels of decision making which have now brought back the case to the Supreme Court, which is, certainly, very unfortunate. Many of us feel that that decisions of the Cabinet, decisions of the President should not be again placed before the Supreme Court for its own judgement on it. At least after the Supreme Court

*Expunged, as ordered by the Chair.

judgement in the Bommai case, we should not have allowed another door to be opened for the Supreme Court to intervene in a purely administrative case like this. These things have happened, but, somehow or other, what we have now to see is to make sure that elections are held on proper lines. *...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Governor is there ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी: इन्होंने राज्यपाल के आफिस को चर्चा में लाया है।

श्री उपसभापति: वह मैंने निकाल दिया है रिकार्ड से।

DR. P.C. ALEXANDER: If the constitutional norms are followed, we will not have another occasion in the Rajya Sabha to discuss cases like this. With these words, I conclude my comments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Tariq Anwar.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a point of order. The point of order is rule 238(5). Sir, when the hon. Member Dr. Alexander was speaking, I believe, he made a sentence that *...*(Interruptions)*... Please look into it. ...*(Interruptions)*... That is a reflection on the conduct of the President. I believe, Sir, this rule strongly prohibits any kind of observation on the ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which rule did you mention?

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, it is rule 238(5) ...*(Interruptions)*... Please delete those ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The rule says, "that reflects upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion." Yes, I uphold your point of order.

SHRI VAYALAR RAVI: Then, Sir, delete whatever has been said about the President.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever is said about the President will be expunged.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, लगभग छः महीने पहले गृह मंत्री जी के द्वारा बिहार में प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, उस समय यह बात सही है कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि उससे राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां इस बात का प्रयास

*Expunged, as ordered by the Chair.

किया जाएगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो सके, लेकिन आज लगभग छः महीने गुजरने के बाद एक दूसरी ही परिस्थिति में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज बिहार की विधान सभा भंग हो चुकी है। उस पर अभी हमारे बहुत सारे संसद सदस्यों ने अपनी राय दी है। यह बात सही है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही सही मायनों में हमारे लोकतंत्र की मर्यादा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, यह सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो पिछला विधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें जो जनादेश आए, वे खंडित थे। वे न किसी राजनैतिक दल के पक्ष में थे और न ही हम यह कह सकते हैं कि वे किसी गठबंधन के पक्ष में थे। जिस प्रकार का जनादेश आया था, उसमें किसी भी सरकार का गठन होना बुहत मुश्किल था, बहुत असंभव था और इसीलिए जब आर॰जे॰डी॰ ने इस बात का दावा किया कि उन्हें सरकार बनाने की इज़ाज़त दी जाए, तो राज्यपाल ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय आर॰जे॰डी॰ के पास वह नम्बर नहीं था। उसके बाद राज्यपाल शासन हुआ और राज्यपाल शासन के दौरान एक बार भी किसी भी दल ने अथवा किसी भी गठबंधन के नेता ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा नहीं रखा। सारी कोशिशों के बावजूद राज्यपाल ने तमाम राजनीतिक दलों को यह अवसर दिया, मौका दिया कि वे आपस में चिंतन करें और सरकार बनाने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है, तो सरकार बनाने कि कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने अपने भाषण में बताया कि विधायकों के साथ बात-चीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि राज्यपाल ने विधान सभा को भंग कर दिया। यह बातचीत का सिलसिला कैसा था, उसकी चर्चा भी सदस्यों ने यहां की है कि बिहार के विधायकों को झारखंड में ले जाकर किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं।

श्री उपसभापति: उस पर बहुत चर्चा हो गई है।

श्री तारिक अनवर: लेकिन एक बात सच है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, जिसके बारे में श्री आनन्द जी ने बहुत चर्चा की और हमारे विपक्ष के नेताओं ने उस पर आपत्ति भी जाहिर की, लेकिन वहां पर कैसी सरकार चल रही है, शायद हम और आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र की दुहाई देकर वहां पर सरकार बनाई गई, हमारी पार्टी खुद उसकी भुक्त-भोगी है।

उपसभापति महोदय, वहां हमारे एन॰सी॰पी॰ के जो एक विधायक चुन कर आए और पहले जब श्री शीबू सोरेन जी ने वहां मुख्य मंत्री पद की शपथ ली, उस मंत्रिमंडल में वे शामिल थे और उसके बाद जब आदरणीय मुंडा जी मुख्य मंत्री बने, तब उनके मंत्रिमंडल में भी उन्होंने शपथ ली। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा कहां तक की, उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो, जब चुनाव में जाता है, तब उसका एक सिद्धांत होता है, उसकी एक विचारधारा होती है, लेकिन आज जिस प्रकार से बिहार के अंदर हमारे नीतीश जी ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन किस

प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी का इन्होंने ज़िक्र किया कि आधे से ज्यादा विधायक उनके पक्ष में थे, लेकिन लोक जनशक्ति के अध्यक्ष श्री राम बिलास पासवान जी लगातार यह कहते रहे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कि वे किसी भी ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो। यह बात उन्होंने बार-बार कही और उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ने की साज़िश की गई, उनके विधायकों को बर्गलाने की कोशिश की गई और यह प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से जोड़-तोड़ करके बिहार में सरकार बनाई जाए। जिस तरह से झारखंड में एक सरकार बनाई गई उसी तरह की सरकार बिहार में भी बनाई गई। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने दूरंदेशी से काम लिया... और सोच समझकर उन्होंने यह कदम उठाया क्योंकि उस समय विधान सभा को अगर भंग नहीं किया जाता तो शायद मैं समझता हूं लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती थी और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आज यह बात सही है कि बिहार के रवि शंकर जी जा रहे हैं, लेकिन बिहार का दर्द मैंने उनके भाषण में सुना था कि बिहार पिछड़ा है, बिहार गरीब है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। यह सही है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 2000 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में एन॰डी॰ए॰ को सबसे भारी समर्थन वहां मिला था और सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से बने थे। जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो उस समय तत्काल जो गृह मंत्री थे आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि झारखंड और बिहार के बनने के बाद बिहार की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है, उसको सुधारने का काम केन्द्र सरकार करेगी और हर तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन 5 साल गुजर गए कोई भी आर्थिक पैकेज बिहार को नहीं मिला। बिहार का दर्द, बिहार की पीड़ा अगर सही मायनों में हमारे एन॰डी॰ए॰ के साथियों को थी तो उससे अच्छा मौका उनके पास नहीं था जब वे 5 साल तक यहां शासन में थे। लेकिन उस समय उनको यह याद नहीं आया क्योंकि उस समय बिहार में जो सरकार चल रही थी वह उनके पक्ष की सरकार नहीं थी, इसलिए किसी तरह का समर्थन देना उन्होंने उचित नहीं समझा, यह बिहार की जनता के साथ एक तरह से एन॰डी॰ए॰ सरकार का अन्याय था। ऐसी स्थिति में हम यह कहना चाहेंगे कि यह ठीक है कि हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा कि जो परिस्थिति बिहार की बनी है उसमें और कोई विकल्प नहीं है, विकल्प यही है कि हम फिर से एक बार जनता के बीच में जाएं, जनता का आदेश हासिल करें कि वे क्या चाहते हैं, बिहार में किस की सरकार चाहते हैं, किस गठबंधन की सरकार चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उपसभापति महोदय। इसलिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी जो प्रस्ताव लाए हैं राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का वह हमारी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है और हम यह जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव हों, चुनाव आयोग इसमें पहल करे और बिहार की जनता को विश्वास में लिया जाए और बिहार की जनता का जो फैसला हो वही अंतिम फैसला होगा उससे हम लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।

SHRI FALI S. NARIMAN: Thank you, Mr. Deputy Chairman Sir.

In this very volatile atmosphere this afternoon, I must make a confession. I have no CDs to show, and I have no judgements to quota. In fact, after fifty-five years of practice, I am a bit fed up of citing judgements, except in the court.

I have listened very patiently, as we all must, to both sides. They have each cited Supreme Court judgements and this, at least, gladdens my heart. It shows how hon. Members of this House have great regard for the judges of the highest court—so do I—and incidentally, therefore, all lawyers as well, which helps us all.

Having said that, let me just pick up one sentence from the hon. Home Minister's statement made this afternoon. It was very brief and correctly so. This was the statement that the Legislative Assembly was dissolved on the 23rd of May, 2005. Now, Sir, I am convinced, as a lawyer and as a citizen, that a dissolved body is a dead body, and giving oxygen to a dead body cannot revive it. Only Court can perform a miracle. I have been in the profession now almost 55 years and I am never surprised at what miracles Courts can perform, especially when there is a minority coalition Government at the Centre. Sir, what happens after dissolution? I, therefore, leave it to the wisdom or inventive capacities of our activist Court. I only wish to say a few words about what is the Constitutional position before dissolution because after dissolution it is beyond the powers of anybody else. Sir, one important thing that we must know is that the Governor—and we are just now speaking only of the Governor—is bound by the advice of his Council of Ministers just like the King in England is bound, and he follows the same set of principles, save and except in the matter of a dissolution, he has a small area of discretion, and that area of discretion is, he must not foist upon the electorate another election if it is possible to have a political party forming a Government. That is a well-known convention. It is one of the silences of our Constitution. It is known as a convention in our Constitution. That power of dissolution when a President's Rule is imposed, is vested in the President obviously. I find that there was no opportunity given to the President who was the deciding authority, the feeling that I had, and many people in this country also had, was that the absence of the President was used in order to have this dissolution. I may be wrong and, therefore, I would only like to know, Sir, very, importantly

having waited for four months or three months whatever it was, could the Council of Ministers not wait till the President, who was admittedly on a State visit to Moscow and thereafter to one or two countries, come back? It made no difference. After all, one side was saying 'corruption of democracy', and the other side was saying 'murder or democracy'. Someone has to decide this. We don't know. There were all sorts of allegations. We heard Mr. Anand very eloquently saying something. We heard somebody else saying something else and so on. I don't know. Nobody knows. Nobody can prove anything, and nobody can say anything. So, it may be that there was terrible corruption; It may be that there was something to be said about murder of democracy. That is why, Sir, I interrupted when there was all this fracas, and I said that this is a very important debate when there is much to be said on both sides. Therefore, having waited for three and a half months, why could the Council of Ministers not have waited for a few more weeks or a couple of weeks till the hon. President came back and applied his mind? He would have decided under the provision to Article 74. He doesn't have to tell us. We cannot question it; courts cannot question it in my opinion, and he would have to say, well I have considered this and signed, and in view of the fact that he has signed the dissolution, it means that he has considered his position under the proviso to Article 74 which incidentally is a power given only to the President. It is not given to a Governor. The Governor has no such power of refusing and saying to his Council of Ministers, 'please reconsider', and that was perhaps one of the good things of the Internal Emergency because it was in Emergency that this Amendment was brought in by the Constitutional Amendment of 1976. This proviso is very important and hon. Members must know. It says, provided that the President may require the Council of Ministers, (otherwise he is bound by the advice, to reconsider such an advice) either generally or otherwise and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. It was meant to put a lid on the President that he cannot do anything on his own. The idea was that he could once send it back, and the moment he sends it back, it becomes public, and many Presidents have used this power to good effect. President Narayanan used it; President Sharma used it. The moment he exercised this power of sending it back, the Press knows, the world knows and everybody knows, and the Council of Ministers, especially in a minority Government does not choose to impose its will. That has been the experience. Therefore, having denied that particular thing, I only

want to know one thing from the hon. Minister-because this is worrying me as a citizen-that having spent three and half months, rightly or wrongly we are not interested, which personality of Governor, etc., why could you not wait for two weeks more till the Presidents return... Because everybody would have claimed to form a Government. You could have said, "No. There is no question. These are all corrupt. Everybody is bought. We are not going to handle corruption." The President is the person who will decide and if he wants to exercise this power, he may choose to do it. If it wants not to exercise the power, then we must assume that he has applied his mind, because that is the assumption of the Constitution. It is a Presidential power, and, therefore, I respectfully submit that this is something which the hon. Home Minister will be very kind enough to enlighten us on.

श्री उपसभापति: श्री दिग्विजय सिंह, आपके पांच मिनट हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: धन्यवाद उपसभापति महोदय, संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो उनके दिमाग में शायद यह बात थी कि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन की जब अवधि बढ़ायी जाए तो फिर से संसद में इस सवाल को लाया जाए और शायद, यह संसद, जिसमें हम सब लोग बैठे हुए हैं, इस देश के संविधान निर्माताओं की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल होगी, अगर हम उन कामों को ध्यान से नहीं देखेंगे। संविधान के निर्माताओं ने कभी यह नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्यपाल का राज चलेगा और ऐसा राज चलेगा, जिसके बारे में लोग तरह-तरह के सवाल उठाया करेंगे। बिहार में जब राज्यपाल शासन की बात होती है तो बिहार में ऐसे राज्यपाल भी हुए, जिन्होंने संविधान के साथ-साथ अपने पद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए कई बार - एक बार नहीं, कई राज्यपालों का मैं नाम ले सकता हूं, जिन्होंने पद से त्यागपत्र देकर वापस घर जाना पसंद किया, लेकिन संविधान से कोई समझौता करना पसंद नहीं किया और उसमें एक सबसे बड़ा नाम श्री आर० आर० दिवाकर का मैं लेना पसंद करूंगा, जिन्होंने 1955 में राजनीतिक दबाव में और बहुत सारे लोगों के कहने पर 26 जनवरी को झंडा तो लहरा दिया, लेकिन विद्यार्थियों का एक बड़ा आंदोलन था, जवाहरलाल जी तब हमारे देश के प्रधान मंत्री थे और उनके तथा लड़कों के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि झंडा जब लहरा दिया जाए, उसके बाद मरे हुए विद्यार्थियों के शोक में झंडे को झुका दिया जाए। 26 जनवरी को यह घटना हुई, आर० आर० दिवाकर साहब ने यह काम किया लेकिन उसके तत्काल बाद रांची से ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वहां से लौटकर वे वापस घर चले गए। ये मापदंड कुछ राज्यपालों ने बिहार में तय किए हैं। इसलिए आज जब कोई गड़बड़ी होती है तो लोगों के मन में शंका, शक और शुबहा, तीनों बातों का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को इस सदन से सहमति प्राप्त करने के लिए ले आए हैं

लेकिन क्या आप इस बात के बारे में बता सकते हैं कि जब बिहार में एक सरकार की संभावना बन रही थी-मुझे याद है, आपने स्वयं कहा था, आपने यहां तक कहा था कि सरकार बनाने की संभावना, अगर वह माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी हो, पूरा समर्थन न हो, तब भी हम उसका ऐक्सप्लोरेशन करेंगे, हम उस संभावना की तलाश करेंगे। गृह मंत्री जी, जिस दिन आप यह बात कह रहे थे, उस दिन पूरे देश को विश्वास और यकीन था कि आप आने वाले दिनों में बिहार में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होने देंगे लेकिन जब वह संभावना कुछ लोगों ने बनायी तो आपकी तरफ से, आपकी सरकार में-मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि एक सरकार की संभावना बिहार में बन रही थी और अब आप जितना आरोप लगा लें, लेकिन क्या आज तक यह बात तय करने में आप कामयाब हो पाए कि कौन-सा विधायक उसमें से बिका था, कौन-सा विधायक आज बयान देने को तैयार हुआ कि हमें पैसे से खरीदा गया था? उपसभापति महोदय, प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता है। एक पार्टी, जिस पार्टी के लोगों ने तय किया था हम बिहार में एक खास सरकार का समर्थन नहीं कर सकते, पिछले पांच वर्षों से वह पार्टी बिहार में आंदोलन कर रही थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछले पांच वर्षों से बिहार में कह रही थी कि हम किसी भी कीमत पर राजग की सरकार नहीं बनने देंगे और जब उनके विधायक चुनकर आए और किसी वजह से यह संभावना बनी कि उनके दल के नेता भारत की सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी थी और वे जब सरकार को बनने देने में सक्षम नहीं हो पाए तो उनकी पार्टी टूटने लगी। अगर वह पार्टी टूटी तो कौन-सा ऐसा कहर टूट रहा था? हमारे वकील संसद सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है, कौन-सी ऐसी आफत आ गयी थी कि 12 बजे रात को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी जाए? कौन-सी ऐसी आफत आ गयी थी कि राष्ट्रपति विदेश के दौरे पर गए हों और उनको फैक्स से यहां से मैसेज भेजा जाए? हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि हम इस संसद में बैठे लोग बहुमत से कोई बात तय कर सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र को बचाने वाले इस देश में हमें अफसोस होता है। हमारे कई साथी उस तरफ बैठे हुए हैं। मैं नाम से जानता हूं, जिन्होंने प्रजातंत्र को बचाने के लिए 19-19 महीने जेल में रहने का काम किया था-ऐसे लोग हैं, लेकिन उपसभापति महोदय, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार में जो कुछ हुआ है, वह प्रजातंत्र को बचाने के लिए हुआ है? क्या यह बात सही नहीं है कि राज्यपाल कह सकते थे, जो लोग समर्थन लेकर जाते, अपना दावा लेकर जाते-यहां कई राज्यपाल बैठे हुए हैं, पदों की गंभीरता और मर्यादा को जिन्होंने निभाया है। उस पक्ष में भी राज्यपाल बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है। मोती लाल वोरा साहब बैठे हुए हैं, पी॰ सी॰ अलेक्जेन्डर साहब भी बैठे हुए हैं, ये कोई हमारे द्वारा राज्यपाल बहाल किए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने पद की मर्यादा का निर्वाह किया है। राज्यपाल कह सकते थे, जो लोग भी दावा करते, जो भी नेता अपना दावा लेकर जाते, उनसे कह सकते थे-नहीं साहब, आप जिस तरह की विधायकों की लिस्ट हमें दे रहे हैं, हमारा यकीन इन पर नहीं है। वे पूछ सकते थे उनसे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए यह शक होता

है। मंत्रिमंडल के कामों पर जो शक की सुई खड़ी की गई, वह इसलिए खड़ी की गई कि देश पर किसी का आक्रमण नहीं हुआ था। इसी देश के विधायक थे, इसी देश के नेता थे, जो सरकार बनाने की बात कर सकते थे। संभावना इतनी ही थी कि वे सरकार का दावा ठोक सकते थे और जो दिल्ली में बैठे हुए लोग थे, उनको डर था कि ....(व्यवधान) ....

श्री विजय सिंह यादव: दावा ठोका नहीं गया।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं वही तो कह रहा हूं..मैं वही बात तो कह रहा हूं ...(व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: वे maiden स्पीच बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं वही बात तो कह रहा हूं, तभी तो दावा नहीं ठोका गया। अभी तो बात भी नहीं रखी गई। अभी तो केवल संभावना थी। मैं गृह मंत्री जी के बारे में इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने इस सदन को आश्वासन दिया था ...(व्यवधान) ....

प्रो॰ राम देव भंडारी: खरीद-बिक्री पूरी नहीं हुई थी।

श्री दिग्विजय सिंह: या तो ये ही लोग बोल लें या मैं बोलूं। राम देव भंडारी जी, इस सदन में तो देशद्रोह के बारे में भी लोग बोलते रहे और इस सदन की मर्यादा थी कि लोगों ने उनको सुना। ...(व्यवधान) ... मैं आपको नहीं कह रहा हूं। ...(व्यवधान) ...

प्रो॰ राम देव भंडारी: देशद्रोह हम लोगों ने नहीं कहा था। देशद्रोह तो तोगड़िया ने कहा था।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं तोगड़िया की बात नहीं कह रहा हूं। उपसभापति महोदय, इस सदन में लोगों ने बात कही, पूरे सदन ने उनकी भावना को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तब भी लोगों ने उनकी बात सुनी, पर हमारे मित्र राम देव भंडारी जी इतने परेशान हो गए कि मैं कुछ बात कह रहा हूं, जो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं है ...(व्यवधान) ...

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उस आश्वासन को पूरा होता न देखकर, हम सब लोग यह सवाल कर रहे हैं। आपने बिलकुल सही कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि कौन पदाधिकारी कैसे बहाल किया जाता है, नहीं किया जाता है, यह सरकार का काम है, लेकिन जब सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, उसके बारे में लोग तरह-तरह की बातें करें-Kang को कोई हमने बहाल नहीं किया था, हमने उसको मुख्य सचिव नहीं बनाया था। उनको राज्यपाल ने मुख्य सचिव बनाया था, इसी सेंट्रल रूल के तहत वे मुख्य सचिव बनाए गए थे। लोगों की इज्जत, मर्यादा से जब कोई मज़ाक होता है, तो कोई बहाल करे, एक सीमा तक वह बरदाश्त करता है, उसके बाद बरदाश्त करने की क्षमता किसी

इंसान में नहीं होती और शायद बिहार के मुख्य सचिव द्वारा किया हुआ ... उपसभापति महोदय, हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं। बिहार में जब हम संसद सदस्य जाते हैं, कोई बात करने की सोचते हैं कि जाकर राज्यपाल के सलाहकार को कहें, तो कहते हैं कि सलाहकारों को कहने की क्या जरूरत है, चले जाइए, मौर्या होटल, वहां * बैठे हैं, वहां उनसे बात कर लीजिए। यह क्या छोटी बात है? हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं है क्या? ...(व्यवधान) ...

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, these two names cannot come on record.

श्री दिग्विजय सिंह: ये कौन हैं, मैं जानता भी नहीं। सच पूछा जाए, तो मैं नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं, आपको पता हो तो बता दीजिए।

श्री उपसभापति: जो नाम लिए गए हैं, वे रिकॉर्ड से निकाल दीजिए।

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, the hon. Member is seriously naming two children. This should not go on record ...(*Interruptions*).... You were a Minister. You should know this.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, हंसराज भारद्वाज जी हमारे कानून मंत्री हैं, मैं उनकी सलाह मान लेता हूं।

श्री उपसभापति: आप नाम मत लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं नहीं लेता। मेरा नाम लेने का कोई मकसद नहीं था। मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। मेरी कोई इच्छा नहीं है और सच पूछिए तो मैं कभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उपसभापति जी, मैं आपसे यह कह रहा था कि माहौल कैसा बना हुआ है और उस माहौल में अगर आप सेंट्रल रूल को यहां बढ़ाने की बात करेंगे, तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि फिर उसी राज को और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस राज से लोग आज परेशान हैं।

तारिक साहब, आपने बिहार के दर्द के बारे में कहा। अभी तो बिहार के बड़े ताकतवर लोग दिल्ली की सरकार में हैं। हम लोग तो छोटे लोग थे, लेकिन पांच वर्षों में 47,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने बिहार को दिया है, जो केंद्रीय परियोजना में काम कर रहा है। सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया 2000 मेगावॉट बिजली बनाने के लिए बाढ़ में दिया गया। 1400-1500 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसा दिया गया। हम तो 47,000 करोड़ रुपया देने में कामयाब हुए। बिहार के जो ताकतवर लोग मंत्री हैं, जो अपने आपको प्रधान मंत्री ही समझ रहे हैं, उन लोगों ने बिहार को कितना दिलवाया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 14 महीने बीत गए, बिहार की असेम्बली से रिजॉल्यूशन पास कराया गया था कम से कम एक लाख 79 हजार करोड़ रुपया बिहार को दिया जाए। ये वे लोग

*Not recorded.

हैं जो आज भारत की सरकार में बैठे हुए हैं हम तो कमजोर लोगों को अगर 47 हजार करोड़ दिलवा सकते थे, तो ये मजबूत लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपने सोचा है? महोदय, पिछले कुछ वर्षों में बिहार की जो तस्वीर है, हम उसका जिक्र करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक-दो नहीं, आज बिहार का तीन से चार करोड़ नौजवान इसी देश में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सिर्फ दिल्ली शहर में चालीस से पचास लाख लोग, बिहार के नौजवान हैं। पंजाब, हरियाणा में एक करोड़ से ज्यादा लोग खेतिहर मजदूरी का काम करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में एक करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज अंडमान निकोबार द्वीप, जहां अंग्रेज कभी काले पानी की सजा सुनाकर भेजता था, आज बिहार के पचास हजार नौजवान वहां भी मजदूरी का काम करते हैं। महोदय, इन नौजवानों का दोष क्या है? ये अपने बिलखते बच्चों और अपनी जवान पत्नी को छोड़कर, अपने बूढ़े मां-बाप को छोड़कर, ये नौजवान अगर देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं तो इसलिए कि उनके हाथ में काम की शक्ति है, लेकिन 15 बरसों में बिहार में कोई काम का अवसर नहीं मिलता, इसलिए ये नौजवान दर-दर की ठोकरें खाते हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे, इसका क्या जवाब है? राष्ट्रपति शासन में 6 महीने की अवधि में इन सवालों पर कौन-सा काम हुआ है? जब फाइनेंस कमीशन द्वारा इतना पैसा दिया गया, उससे कौन-सा ऐसा काम हुआ है? जब राष्ट्रपति शासन के बढ़ाने की बात होती है, इन सवालों के बारे में .....(व्यवधान) ....

श्री विद्या सागर निषाद (बिहार): बिहार को पाटने का काम बिहार में गरीबी लाने का काम, जो पूर्व सरकार थी, उसने यह काम किया है? .... (व्यवधान) .... आज आप गरीबी की बात कर रहे हैं। ..... (व्यवधान) ....

श्री उपसभापति: आप बैठिए-बैठिए। .... (व्यवधान) .... आप बिहार के नहीं हैं। आप बैठिए। ..... (व्यवधान) .... आप बैठिए।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, जो लोग ऐसी बात करते हैं, मुझको उनकी ईमानदारी पर तरस आता है। बिहार असेम्बली से बंटवारे की बात हमने की थी? किसकी सरकार ने प्रस्ताव भेजा था? ..... (व्यवधान) ....

श्री उपसभापति: आप बैठिए, आप बैठिए। .... (व्यवधान) ..... कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, बिहार के बंटवारे का प्रस्ताव जब एसेम्बली से आया था तो उस समय बिहार में हमारी सरकार नहीं थी। हम तो पिछले कई वर्षों से सरकार बनाने की इच्छा रखे हुए थे। लेकिन वह मौका अभी तक नहीं मिला। मैं गृहमंत्री का ध्यान सिर्फ इन सवालों की ओर इसलिए खींच रहा हूं, गृह मंत्री जी इस पद पर आज आप बैठे हुए हैं, और आपकी जवाबदेही है। अगर आप

कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीज बिहार की अपने हाथों लाकर दिल्ली में रखना चाहते हैं तो रखें। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस संसद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि संसद के अंदर अगर इस तरह के प्रस्ताव लाए गए, लोकतंत्र की हत्या की बात मैं क्या करूं, यदि मैं लोकतंत्र की बात कहूं तो उधर से हल्ला होने लगेगा। आजादी के लिए सिर्फ क्या हम लोग लड़े हैं, हम लोग तो नहीं लड़े हैं, लड़ने वाले तो सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। उनके घर परिवार के लोग ज्यादा मरे हैं। मैं उनकी इज्जत करते हुए कहता हूं, आजादी के दीवानों ने आजाद भारत की तस्वीर हमारे हाथों में इसलिए नहीं सौंपी थी कि दिल्ली में बैठकर हम पटना की हुकूमत चलाएं, बिहार की हुकूमत चलाए। आठ करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला, आठ करोड़ लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम माननीय गृह मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जो यह प्रस्ताव लेकर आए थे, बेहतर तो यह होता कि 15 सितम्बर तक की आपके पास यह अवधि थी। हम लोगों ने कहा था कि जुलाई में चुनाव करा दिया जाए। यह नौबत ही नहीं आती कि आज आप इस प्रस्ताव को लेकर आते हम आप पर आरोप इसीलिए लगाते हैं कि आपको प्रजातंत्र की जिम्मेवारी का अगर थोड़ा भी अहसास होता तो 15 सितम्बर से पहले बिहार में चुनाव कराया जा सकता था। जो यह तर्क दिया जाता है कि बरसात में चुनाव नहीं होते, आखिर 1999 का का चुनाव सितम्बर महीने में ही बिहार में कराया गया था। हम सब लोक उसी समय संसद में फिर चुनकर आए थे। इस तर्क का मतलब भी ...(व्यवधान) ...

श्री मंगनी लाल मंडल: हम लोग गए थे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इनकी मेडिन स्पीच है। Courtesy demands that he should be allowed to speak.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे मन में शक है, आज यह डर मेरे मन में है कि आप प्रेजीडेंट रूल की अवधि को 6 महीने और बढ़ाकर दिल्ली से रूल करना चाहते हैं। मैं इस तर्क को इसलिए आपके सामने रख रहा था कि अगर आप ईमानदारी से प्रजातंत्र को बहाल कराना चाहते थे, तो पूरा सदन चाहता है, भले ही वे बोलें या न बोलें, लेकिन हरेक के मन में यह इच्छा है, चाहे वे हमारे वामपंथी लोग हों, चाहे हमारे इधर के लोग हों, सब लोगों के मन में यह इच्छा है कि बिहार में जल्द से जल्द लोकशाही की बहाली हो, लेकिन यह काम नहीं किया गया है। अब जब गृह मंत्री जी इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, कम से कम मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी बिहार में चुनाव कराने की संभावना वे देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो तिथि निर्धारित की है कि 25 नवंबर के पहले हम बिहार में चुनाव करा देंगे, अखबारों के माध्यम से यह खबर छपी है, लेकिन बिहार के लोगों के मन में यह डर है कि जब 6 महीने की अवधि बढ़ाई जाएगी, तो आप इसे और आगे ले जाएंगे और यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि बरसात का बहाना बनाकर आप जनवरी-फरवरी तक चुनाव टाल देंगे।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Will you yield? Who fixes the date for election? It is the Election Commission. You should know it.

श्री दिग्विजय सिंह: जी, मैं तो सिर्फ डर बता रहा हूं। आप कह देंगे कि अभी हम फोर्स नहीं दे सकते ...(व्यवधान) ...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Home Minister, eighty per cent is given by the Government ...*(interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी: चुनाव आयोग पर विश्वास है ना?

श्री उपसभापति: नहीं, यह बेकार बहस है, दिग्विजय जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने पहली बार कहा था तो लोगों को विश्वास था लेकिन वह काम नहीं हो पाया, सदन अपनी गरिमा का निर्वाह नहीं कर पाया, हम सरकार बहाल नहीं कर पाए और अब फिर दोबारा जब यह काम हो रहा है तो कम से कम इस सदन के माध्यम से गृह मंत्री जी जिम्मेदारी के साथ देश के सामने इस बात को बताने का काम करें कि कितनी जल्दी वहां चुनाव हो सकते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन कर सकें और मैं यह समझता हूं कि हर कोई, जिसको प्रजातंत्र में यकीन होगा, वह प्रेजीडेंट रूल की अवधि बढ़ाने का पक्षधर नहीं हो सकता है। बिहार में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसमें यह काम करने की आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन आज अगर गृह मंत्री जी को ऐसा लगता है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां मैं एक ओर इसका विरोध करता हूं, वहीं दूसरी ओर आप कम से कम देश को विश्वास में लेकर इस चुनाव को जल्द से जल्द कराएं ताकि लोगों में अविश्वास का माहौल समाप्त हो। धन्यवाद।

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, आज हम लोग बिहार पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे कुछ अफसोस है, कुछ परेशानी है कि आज की इस पूरी बहस में तकरीबन-तकरीबन जो तर्क दिए गए, वे या तो कानूनी दांवपेंच थे या राजनीति के संदर्भ में टिप्पणी और नुक्ताचीनी थी। बिहार के लोग क्या चाहते हैं? मैं बिहार में नहीं रहता हूं, इसलिए शायद आप यह सवाल उठा सकते हैं कि आपको क्या पता कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं? मैं माननीय सांसद से सहमत हूं कि जितने लोग बिहार में हैं, उतने ही लोग बिहार के बाहर भी हैं, खास तौर पर उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया। हम कलकत्ता में रहते हैं। तो बिहार के लोगों की चाह क्या है, वे क्या चाहते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा-बहुत पता है क्योंकि उनके साथ हर स्तर पर हमारा इंटरऐक्शन होता रहता है। हमारे कलकत्ता में हर स्तर पर बिहार के लोग हैं, प्रदेश की सरकार में ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर हैं और दूसरे स्तरों पर भी हैं, जिनके साथ हमारी वाकफियत होती रहती है,

5.00 P.M.

बातचीत होती रहती है। हम बार-बार गणतंत्र की बात कहते हैं, गणतंत्र के बारे में बिहार के लोगों का जो एक्सपीरियेंस हुआ है, वे खुश नहीं हैं। बार-बार जो सरकारें बिहार में आती रही हैं, वे बिहार के जो लोग हैं, उनकी ऐस्पिरेशंस और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं हम लोग बार-बार ''जनादेश'' की बात करते हैं, ''जनादेश'' लफ्ज हम बार-बार प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि हमको ''जनादेश'' मिला है, जब हम उनसे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह ''जनादेश'' नहीं है, यह बाहु-बलियों का आदेश है, इसलिए हम वोट देते हैं या वोट दिलाए जाते हैं। आपको यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, मैंने हर स्तर के लोगों से पूछा कि हमें बिहार में दो आदमियों के नाम बताओ, बस दो आदमियों के नाम बताओ, जो आपके ख्याल से बिहार की हालत संभाल सकते हैं। उन्होंने दो आदमियों के नाम लिए। मैंने कहा कि दो अच्छे आदमियों के नाम बताओ, जिनके हाथ में बिहार का भविष्य सौंपा जा सकता है। उन्होंने दो आदमियों के नाम लिए और बार-बार जो ये दो नाम हमारे सामने उभर कर आए हैं, जो नाम हम अखबार में पढ़ते हैं, जिन नामों की हम चर्चा करते हैं, ये वे नाम नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो दो नाम लिए, वे सांसद हैं, हाजिर हैं, इसी संसद के दीवारों के अंदर, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती है अगर यह चुनाव आगे होगा, तो वे लोग आएंगे कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन जो सुना है, बार-बार इन दोनों का नाम आता रहता है, कहते हैं कि ये लोग आ गए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं ...(व्यवधान) ... हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कंफिडेंस में लेकर बताया है ...(व्यवधान) ... अकेले में बताएंगे।

जहां तक गवर्नर्स रूल की बात है, तो जब गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल पहले लगा था, तो जिन लोगों से बातचीत होती रहती है most of them welcomed the President's Rule. They are happy with the President's Rule. They want कि ऐसा होता रहे, तो कुछ काम तो हो। लेकिन इस दफा जो प्रेसिडेंट रूल लगा, शुरू में जो काम हुआ, तो उससे वे खुश थे। लेकिन फिर जब पीछे खिसकने लगा तो वे कहते हैं कि फिर वही काम शुरू हो गया। अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यह मेरी सुनी हुई बात है।

वहां की एसेम्बली को भंग किया गया कि वहाँ खरीद-फरोख्त हो रही थी। अब वे कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अभी खरीद-फरोख्त नहीं हो रही है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, वह खरीद फरोख्त का सिलसिला तो जारी है। आप खुद समझ लीजिए कि यह जो एसेम्बली का डिसोलुशन हुआ, उससे कोई फायदा हुआ या नहीं। वे कहते हैं कि साहब देखिए, इसका कोई फायदा नहीं है, घूम फिर कर वही लोग आएंगे। आफ्टर ऑल 6 महीने का जो गवर्नर्स रूल है, प्रेसिडेंट्स रूल है, हम लोग कश्मीर की तरफ देखते हैं, मणिपुर की तरफ देखते हैं, नार्थ-ईस्ट की तरफ देखते हैं, तो एक बात बार-बार निकलती है कि लोगों को शांति चाहिए। बिहार के लोगों को भी शांति चाहिए। मेरा ख्याल है कि 6 महीने का प्रेसिडेंट्स रूल जो अभी खत्म होने वाला है और

जो 6 महीने का प्रेसिडेंट्स रूल जो और आगे बढ़ेगा, उसमें लोगों के दिल में एक किस्म का दिलासा देना कि तुम्हारे ऊपर जो टेरर है, उसे हम हटाएंगे, यह उतनी देर तक ही रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट्स रूल है। जब प्रेसिडेंट्स रूल हट जाएगा, वे लोग फिर वापस आ जाएँगे।

इसलिए हम गवर्नर्स रूल का समर्थन करते हैं, क्योंकि गवर्नर्स रूल के अलावा कोई चारा नहीं है। हम गवर्नर्स रूल का इसलिए भी समर्थन करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं। लेकिन यह होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो इसे खत्म होना ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नर्स रूल में कम-से-कम ' महीने बढ़ाने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उसके बाद तो फिर वापस वहाँ जाना ही है। इसके बाद कौन सरकार होगी, पता नहीं। जो भी हो। बिहार के लोग, जिनसे बातचीत होती है (**समय की घंटी**) उनके दिल में अभी कोई आशा नहीं है। वे कह रहे हैं कि साहब, ठीक है, अभी तक गवर्नर की सरकार है, जब तक चलेगी, चलाएँ। ठीक से नहीं चल रही है। इसके बाद तो वही लोग वापस आने हैं। कौन आएँगे, मुझे पता नहीं? हम यह चाहते हैं कि क्या कोई तरीका नहीं निकल सकता है कि इस प्रदेश के लोगों को कोई राहत मिले, परमानेंट तौर पर राहत मिले, वहां अच्छा शासन हो, कोई ऐसी सरकार चुनाव के माध्यम से क्या नहीं आ सकती है? यही मेरा पूछना है। मैं प्रेसिडेंट्स रूल का समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट्स रूल के बाद जो चुनाव होंगे, कम-से-कम हमारे लिए जो एक बहुत अहमियत रखने वाला प्रदेश है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सेंट्रल प्रदेश है, इसके लोगों को कोई शांति, कोई राहत मिले। धन्यवाद।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): महोदय, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ायी जाए, ऐसा ही एक संकल्प पहले भी आया था और उस समय भी आज ही की तरह गंभीर बहस हुई थी।

महोदय, यदि आज की बहस को तीन भागों में बांट दें तो स्थिति को समझने में और देखने में बड़ी सहायता मिल सकती है-जब पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय की स्थिति, जब विधान सभा भंग करने की घोषणा की गयी, उस समय की स्थिति और आज जब पुन: राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 6 महीने का जो संकल्प लाया गया है, उस समय की स्थिति। यदि हम इन तीनों पर विचार करें तो एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि देश में सुविधा और सहूलियत की राजनीति अगर इसी ढंग की की जाती रही तो अन्य राज्यों में यदि इसी ढंग की स्थिति पैदा होती तो उस समय बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। महोदय, सुविधा और सहूलियत की राजनीति इस तरह से की गयी है कि इस समय सरकार में शामिल लोग और जिस ढंग से सरकार चलायी जा रही है, इस सबको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

महोदय, अपने यहां सरकार बनाने के लिए जब बिहार की जनता ने चुनाव किया तो यू०पी०ए० के घटक दलों के अंतर्विरोध ने उस सरकार के गठन में बाधा पहुंचाने का काम किया और बिहार में सरकार गठित नहीं हुई। जब तीन, साढ़े तीन महीने तक वहां गवर्नर साहब का शासन चलता रहा

कि सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश किया जाए तो उस बीच में ऐसे कोई काम नहीं किए गए जिससे कहा जा सकता हो कि गवर्नर ने सरकार गठन के लिए बहुत सीरियस प्रयास किया हो।

महोदय, मुझे वह दिन याद है जब सरकार के गृह मंत्री जी इस सदन में वक्तव्य दे रहे थे और सदन में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की गयी थी। उस समय लग रहा था कि भारत के गृह मंत्री आज सदन को आश्वस्त कर रहे हैं और सदन के माध्यम से इस देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए प्राथमिकता है व इसी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत के गृह मंत्री की ऐसी उद्घोषणा उस दिन हुई थी, लेकिन आज पुनः उसी गृह मंत्री को इसी सदन में राष्ट्रपति शासन की अवधि फिर से 6 महीने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। इससे मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। महोदय, ये आशंकाएं इसलिए पैदा हो रही हैं कि लेकिन ऐसी circumstances नहीं आएं, इसके लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास इस बीच में किया है? मैं चाहूंगा कि भारत के गृह मंत्री महोदय, जब अपना जवाब दें तो इस आशंका को दूर करने का प्रयास करें।

महोदय, हमको यह जरूर लगता है कि जिस समय विधान सभा भंग की गयी, उस समय यदि कुछ दिनों का और इंतजार किया होता तो आकाश पृथ्वी पर नहीं चला आता। महोदय, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और निश्चित रूप से कुछ समय तक और इंतजार किया जा सकता था जिससे कि बिहार में सरकार गठित हो। अब मजबूरी में गृह मंत्री महोदय यह प्रस्ताव लाए हैं और वे सदन को आश्वासन भी देंगे। इसके लिए चुनाव आयोग को भी काम करना होता है उन्होंने उसकी हल्की सी चर्चा भी की थी। महोदय, चुनाव आयोग जितनी जल्दी सरकार को संपर्क कर चुनाव करा सके, वह बिहार की जनता के लिए अच्छा है। उपसभापति महोदय, जब पहली बार इस सदन में बहस हुई थी तो मैंने एक बात उठायी थी कि आज राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत जरूर आ गयी है, लेकिन यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कैसे चले। इसका कुछ code of conduct, कुछ ऐसी परिपाटी स्थापित की जाए कि बिहार की जनता को लगे कि राष्ट्रपति शासन के दरमियान बिहार के लिए कुछ काम हुए हैं। उपसभापति महोदय, ऐसा कहने के पीछे मेरा एक ही तर्क था कि उसी समूह का शासन केन्द्र में चल रहा है और उसी के नुमाइंदे कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। इस छः महीने की अवधि में कुछ ऐसी करामात करेंगे कि बिहार की जनता को पहले के शासन की अपेक्षा एक बेहतर शासन मिल सकेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। उपसभापति महोदय, यद्यपि मेरे पास पेपर हैं, लेकिन मैं उस पेपर को दिखाना नहीं चाहता। कुछ सवाल फिर उठ जाएंगे कि पेपर के ऊपर सदन में इतनी बहस की जाए और उन पेपर की उक्तियों को सदन में बहुत देर तक कोट नहीं किया जाए। लेकिन बिहार में सवाल उठ रहे है, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। गवर्नर का भी इंटरव्यू आ रहा है। इनकी सफाई का इंटरव्यू आ रहा है। मुख्य सचिव का इंटरव्यू आ रहा है कि मैंने इस ढंग का कदम क्यों उठाया है, तबादलों की चर्चा

हो रही है। यह तो कोई विकास की चर्चा नहीं हुई, जिसके संबंध में माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल उठाए हैं कि बिहार किस दुर्दशा और किस बेबसी का शिकार है, बिहार किस हालत में पहुँच गया है, बिहार को कहाँ जाना है? इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में शासन कैसे चलाया जाए, इसकी चर्चा नहीं है। इन चार-पाँच महीनों में शासन की क्या खूबियां हुई हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। खामियों की चर्चा हो रही है। दोषो की चर्चा हो रही है। कार्य करने की प्रणाली की चर्चा हो रही है। शासन पद्धति किस गलत ढंग से चल रहा है, इसकी चर्च हो रही है। आज इन्ही सुर्खियों के बीच बिहार की जनता बिहार के प्रशासन को (समय की घंटी) देखने का काम कर रही है। आज हम गृह मंत्री जी से केवल यही आश्वासन चाहते हैं कि बिहार में जल्द-से-जल्द जनतांत्रिक सरकार गठित हो और वह सरकार चले। बिहार के इस अनुभव से अब तो यह और साबित हो गया कि कोई भी जनतांत्रिक सरकार राष्ट्रपति शासन की सरकार से काफी बेहतर हो सकती है, काफी अच्छी हो सकती है, जो अच्छे ढंग से शासन चला सकती है। मैं मांगता हूँ कि जल्द-से-जल्द चुनाव हो। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I would like to thank the hon. Members for participating in this debate. Most of the Members have made very valid points and it is necessary to remember, while dealing with situations like this, as to how the Government should conduct itself in these kinds of situations. Shri Ravi Shankar Prasad opposed the Resolution and put a question as to why the Government was not allowed to be formed. Shri R.K. Anand explained to us the provisions contained in the Tenth Schedule of the constitution, what is meant by defection and what happens if the Members are going from one party to the other. I am thankful to him. Dr. P.C. Alexander asked me as to why it was necessary to wait for four months to take the decision which we are trying to take now. Why could it not be taken before? Shri Fali S. Nariman asked me as to why the decision was taken when the President was abroad. Then Shri Digvijay Singh asked me as to when the elections would take place.

Many Members asked: What was the difference between the rule which was there; before Governor's rule or President's rule was started in Bihar and now? These are the questions on which I should make my submissions. Before I respond to these points, I would request the hon. Members in the House to bear in mind certain facts which are very pertinent to this issue. One of the facts which has to be borne in mind is that after the elections, when a claim was made by a party which was in power over there and when it was found that it was not possible for that party to form a Government or continue to rule that State, that party was not allowed to

form a Government there. And that party is a partner in the Government at the national level. Now this fact proves that we tried to be as impartial as was possible. The second fact which should be borne in mind and which should not be forgotten by all of us here is that the NDA did not stake a claim to form a Government. The NDA did not come forward to say that they were in a position to form a Government until the last moment. Some of the hon. Member asked, "Why wasn't an attempt made by the Governor to form a Government?" If there was a party or a leader willing to form a Government, one could have seen whether a Government could be formed and whether the Government so formed would continue or not. The Constitution of India does not expect that a party which is not having a majority should be allowed to form a Government. The President or the Governor has to see that the Government which is formed, would continue. It may be a minority Government, but it will continue. We did form minority Governments at the national level and also at the State level. Those Governments did continue. They continued for five years even without having a majority. When did that happen? It happened when the margin between the number of members who formed the Government and the number of members who were not supporting the Government, was very small. Such Governments were formed. That is why we said that if a party does not have a full majority, but it comes forward and says that they would form a Government and if the Governor in his subjective opinion comes to the conclusion that such a Government could continue, they could be allowed to form a Government. While criticising the Resolution, the fact which the hon. Members have forgotten is that there was nobody who made a claim to form a Government. Nobody, no party, and no leader had asked for it. We did wait. For how many days did we wait? This decision was not taken in a hurry. We waited for months. We waited expecting that somebody would come and say that they would form a Government. The Governor would have certainly allowed the Government to be formed, if the leaders of different parties had come together and said that they would join hands and form a Government. It was not that the leaders were talking to each other. It was the members who were talking to each other. The Members were not talking to each other in Patna, they were talking in Raipur, they were talking at places which were not parts of Bihar. They were talking outside Bihar. Now if they were not thinking defecting from one party to the other, it would have been possible for them to talk to each other in Patna. Why didn't they talk to each other in Patna? Why was it necessary for

them to go to the capital of an adjoining State and stay in a hotel to talk to each other? Why was it necessary? If the leaders had talked to each other to form a Government, it would have been possible.

Mr. Anand has very, very carefully explained the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution. The Tenth Schedule of the Constitution is about the law of defection, and it forms a part of the Constitution of India. The Tenth Schedule, as it stands today, says that if less than two-third members of a party go from one party to the other, their membership of the legislature would be terminated. From the numbers which had come to our notice, we could find that they were less than one-third members in some cases and, in some cases, they were less than one-half. What did it show? The Governor knew that attempts were being made to wean away some Members from one party to the other. Horse-trading was going on and the Governor was very, very emphatic from the beginning; he said anybody can form the Government but, at the same time, he said that he would not allow horse-trading. The question today is whether you will accept a Government which is formed on the basis of horse-trading or you will oppose horse-trading which goes against the principles of democracy in the country. That is the question before us. That is the question which has to be decided in this House, in the other House and, maybe, in courts of law also. What is it that we are trying to do? We said, "Let the leaders come together and form the Government. Even if they do not have full majority, even if a small margin, which does not give them the majority, is there, we can understand that and allow the Government to be formed". Yet, it could not be formed. Then, we know, Sir, it is not that we have not seen this on the TV. Fortunately, on TV, this was visible to everybody. One of the parties which had contested the elections had got some Members elected. Their Members were given allurements and they were asked to join the party. The leader of that party had to send an aeroplane and get the members from there to Delhi to see to it that they were not forced to go to the other side. Now, that is a thing which we have seen with our open eyes. Who can deny this fact? And the Governor did see this fact. I must say, Sir, the Governor was very, very clear. He said, "I will allow the Government to be formed", but then he also said, "I will not allow horse-trading to take place". He had his own sources. He did have the information; not only he had the information but the entire country was seeing on the TV what was happening between different parties.

In view of this fact, I would ask a question. Did we commit a mistake in doing what we did?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Yes, you did.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We did not dissolve the House in the first instance. Probably, because of the judgement given in Bommai's case this could not have been done. But then the House was not dissolved. Time was given and the time that was given was utilised for horse-trading and not for forming the Government. I make a distinction between horse-trading and forming the Government. If the leaders speak and come together, or, if the requisite number of Members, as per the Tenth Schedule, go from one party to the other and join the Government, we would have had no difficulty in the way. But the Governor knew that the moment they went from one party to the other, not having the requisite number of Members, that is, two-thirds of the party Members, they would lose their membership and that type of Government could not be sustained. He knew that. And that is why he wrote, not once but twice, "Horse-trading is going on. No party is claiming to form the Government at this point of time. But they are trying to split the parties with the help of allurements and with the help of money power and muscle power"

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Would the Home Minister yield for a minute? सर, आप इस बात का पूरा तर्क दे रहे हैं कि गवर्नर को यह पता था कि हौर्स ट्रेडिंग होने वाली है। आप बार-बार यह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि Governor knew it. तब क्या उस नॉलेज को गवर्नर ने कहीं रिकॉर्ड किया? क्या उस नॉलेज का कहीं कोई प्रूफ या सबूत उन्होंने दिया? क्योंकि जब होम मिनिस्टर यह बात कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहे होंगे कि राज्यपाल को मालूम था, लेकिन उन राज्यपाल की मालूमियत किस चीज़ पर आधारित थी, इस बात के लिए तो सदन को विश्वास में लीजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैडम, मैं आपके पूरे सवालों का जवाब दे दूंगा, kindly don't interrupt me. Because if I lose my link, then, it becomes difficult. I will reply to your question. The point I was making was that he was very clear from the beginning that the Government should be formed, and that Government which would be formed should be continued; it should be a Government which is sustainable. That was his view. That is why he did not allow one party to form the Government, and he was waiting for the other parties to come forth and say that they would form the Government

so that there are enough number of members, not majority, enough number of members which would sustain that Government in future. He was waiting for that. And he found that was not happening, on the contrary, the horse-trading was encouraged and happening. Now, we are asking for the evidence. This evidence we have seen with our own eyes on the television, and the Governor could have seen that thing with his own eyes, and he had his own information. His information plus what was seen on the television screen should have been sufficient enough to convince him that attempts were not made to form the Government, as per the law, but attempts were made to form the Government by hook or crook, by using the method of horse-trading, by terrorising the people, giving allurement of money to them. Now, when this was happening, was he wrong in writing to the Government of India saying that this is happening, so, please dissolve the House and hold the elections? He had written the first letter to us. But, then, from here, we said that we are not going to do it quickly, we will wait for some more time to see whether the leaders of the parties can come together and can have the numbers which will help them to form the Government. We did say that. Now, that time was given. The second letter was written to us saying that this is happening. What was happening at that time? We knew that one of the leaders who is with us in the House had to send an aircraft to Patna to get his members from there to Delhi in order to see that they are not divided from him and they are not won over. We saw it on the television. They spoke to the entire country as such, not only to the Members in the House, but to the entire country as such. We saw it with our own eyes. Why should we disbelief that? why should we not come to the conclusion that horse-trading was taking place? And that is why we ultimately decided that if the horse-trading takes place and if some members, who do not constitute two-thirds of the membership of that party, the requisite number of the party, go to the other side and then join hands with them and come to the President and say that 'look, this is the numbr, so, allow us to form the Government', one more constitutional chaos would have been created. In which case, it would not have been possible for the government to continue because the moment they go from one party other without having the backing and the support of the enough number of members of his party, *i.e.*, two-third members of his party, they would have lost their membership in the House, and the Government which had been formed would have fallen like a pack of cards. Now, if the Governor is applying his mind to these facts, and understanding

the constitutional provisions correctly, and he is giving the time; he is not allowing horse-trading to take place, and if he is not allowing a Government to be formed which could not be sustained, was he wrong in recommending to the Government of India that President's rule should be imposed, the House should be dissolved and elections should be held? I am asking this question. Politically speaking, you can say anything. Politically speaking, I can reply to your question in any manner which will suit me and which will contradict your statement. But, I am asking this question. Where did we go wrong? What we did? Whenever we found that a Government which belonged to our party or any other party was not following the principles which should be followed, we did take that step. this House knows it that in other States, we did take that kind of step. We did not mind losing the Government from our own party; we stuck to the rules and we did it. Why should you take objection to this? Moreover, you all agreed. What did the parties do? One of the Members got up from here, a JD Member, and said, "Instead of saying that we will be able to form the Government, you went there, some parties went there and asked the Government not to allow a particular party to form the Government. Is this the way which can be treated as Constitutional and correct?" How can you say that "We will have chaos there, we will have Constitutional difficulties over there?" How can you do that? What is it that we are actually trying to do? We have not allowed our side to form the Government when we had suspicion in our mind that they would not have secured enough number of Members. We did not take the decision in a hurry. We gave enough time to them to come together and form the Government and when we found horse-trading was going on and in such a manner that it would have created a Constitutional chaos, and the Government formed would not have continued. We took the decision to dissolve the House and hold elections. Have we committed anything wrong?

We are going back to people and saying, "Look, you had elected them, they have not been able to form the Government and the horse-trading is going on. Now, again, we are asking them to go back to you and seek your mandate and come back to the House and form the Government." What mistake have I committed? I do not understand what mistake we have committed. Probably, we have been too careful. If our allies and our colleagues make a charge against us saying, "You are too puritan; you are too careful; you are not understanding the political complications; and

you are all the time burdening us with this principle and that principle?, well, that would not be very wrong; but, even then, we have been very careful. This is the situation in which the Government could not be formed and, I hope, I have tried my best to reply to the point raised by Mr. Ravi Shankar Prasad.

The second question was raised by Mr. Nariman, a very good question. We also thought about it. We did not come to the conclusion in a hurry or without applying our mind. Mr. Nariman wanted to know why we took the decision when the President was going abroad: "You took the decision and then that decision was sent to him and then he had to sign the recommendations made by the Council of Ministers." Sir, the most important point was, if the President was to be going outside the country, abroad, and he was not going to come back, say in a week's time, then those who were involved in horse-trading would have collected a few Members, who could have continued in the Legislative Assembly, and could have gone to the Governor and said, "Look, these are the Members and you allow us to form the Government", without having the assurance that they would be continuing in the Legislative Assembly as Members, because they had gone against the Tenth Schedule of the Constitution, that would have created a Constitutional chaos. If, at that time, the Governor could have said, "No, I am not going to accept your recommendations", they would have said, "How can you say that?"

These are the two difficulties and that is why we had to take a decision. Respected President was going abroad, we knew that. But what weighed with us in sending this to him was that he knew that the Resolution to suspend the House was passed by both the Houses, unanimously. Not a single party nor a single Member opposed that Resolution. It was passed in that House and it was passed in this House and then it was given to him. So, he knew what the difficulties involved in it were. He also knew that, at that time also, the House could have been dissolved if Bomai Judgement was not there. If he had come to the conclusion that the Government would not be formed without horse-trading and if he had taken the decision, it would not have been also difficult.

Sir, the explanation which I would like to give to the hon. Member and to this august House is that we had to decide between a Constitutional chaos which would have been created because of the horse trading of the

Members, going to the Governor, staking claim, forming the Government and allowing that Government to fall down within one or two weeks' time because they had as per the law could not have continued as the Members. Now this is the consideration, which was before us. We followed the directive, we followed the route of going back to the real sovereign in the country, that is, people, asking them "What is your mandate; give it for second time and we will follow that second time." I do not know whether I have given a convincing reply. But that was the rationale behind the decision which we took. Mr. Alexander asked "Why did you not take the decision earlier than when you took the decision?" That is also a question. This was asked by our friends also, "Why did you wait for so much time?" We were trying to be correct. We were trying to be correct' we were trying to give more time to the other side to come together, to talk to each other and to come to the Governor and say, "We are in a position to form the Government in a correct and legal manner." That was the only thing. Otherwise, there was nothing. The Governor, I must say, had written to us—I am just giving you from my memory—nearly one-and-a-half months before, "It is not possible to form the Government. Horse trading is going on, dissove the House and hold the election." He had written someting of that kind, I am just speaking from my memory. But we did not accept his recommendation. We waited. We waited and if there is any responsibility we in the Central Government as the Union Government has to take the responsibility, we waited to give them more time to come together and form the Government. When they did not form the Government, we could not help it. That is the only explanation I can give. Now, the third question, which was asked, was "When are you holding the election?" I would like to tell my dear friend, Digvijay Singhji that in the Resolution it self I have said that the Election Commission, when the House was dissolved, considered as to when the election could be held. They came to the conclusion that in rainy season it would be difficult. Then they came to the conclusion that election could be held in the month of October or November. Now, that is what they have said. Not only they have said, but also they have issued a Press Note and then that Press Note is sent to us also. So, this will and should convince you that the Election Commission has formed its view on the date on which the election should be held. The Government of India has nothing to do. That is why the Election Commission is a Constitutional Authority, not to be under the thumb of the Executive of the country. They can form any opinion. They can hold any election. The

moment we dissolve the House, the Executive has no say. It is the Election Commission, which has to decide. We would also be very happy if the elections are held earlier than what is expected. People have been saying, "You want to be in power; you want to rule from Delhi in Bihar." Now what is this? We had not dissolved this House, the House could have continued up to 6th September. Up to 6th of September it could have easily continued. We did not ask that the House should be dissolved and the Governor's Rule or the President's Rule should be there. We did not ask for that. Now, both the Houses unanimously approved and that period is going to be up to 6th September. Now what is the time we will be getting under Governor's Rule over there from 6th of September, till either in October or in November? One or two months! We can assure you that we will not interfere in the Constitutional responsibility, which has to be discharged by the Election Commision in holding election at any time they like. We will allow them to do it. If the elections are held in the Month of October or November, we have no objection and probably, you do not have any objection. If I understood your speeches correctly, you have also been saying that if this has to happen, let it happen but hold the elections without any delay. That is exactly what we have said and Mr. Ravi Shankar Prasadji has also said. That is a right stand to take and we have no objection to this stand you are taking. Then, people have asked me what has happened when the President's Rule or the Governor's rule was there. Now, this is a question I do not know the answer for. All that I am going to say on the floor of the House will be brought to the notice of the people outside or not, I don't know because as Shakespeare has said,'all the good that you do is entered into his bones.' So, all the good you say here is just lost in the oblivion here. All the mistakes or all the defects would be highlighted. I am giving you the statistics. Let it be brought to the notice of the people and let them form an opinion whether there has been any change when the Governor's rule was imposed over there or not. I would like to know. This is no reflection on anyone. This is just to inform you what has happened in the last few months time in which the Governor's rule was there. Let it be brought to the notice of the people so that, again and again, the question is not asked, 'what is the difference? Now, I am talking only about the statistics relating to the law and order situation in Bihar. If you were asking for the statistics relating to the economic development, I would like to submit to this House and to the hon. Members that you cannot expect the projects to be completed, State level projects to be completed in four months' or five months' time and they are not started and the results are not available. We all know, who are sitting here, that if a project is started today it can be completed in four years' time or five years' time. When

your term is over, you get the results. So it is very difficult to give you the results in economic field but certainly we can give you the statistics relating to security aspect and the law and order situation in Bihar and you yourselves form the opinion whether it is an improvement or not. This is brought to your notice because many of the Members got up and said, 'what is the difference, let us know.' Hon. Members could get this information from Bihar also, at least the hon. Members from Bihar could get this information from Bihar and the Governor would have been very happy and the officers working with him would have been very happy to say that. Now, I am giving you the bare statistics. During the period under the President's rule, 126 dreaded criminals were detained under the Bihar Crime Control Act, 1981. In 114 cases, detention sanction were by that Government, out of the 126. The Advisory Board comprising the Acting Chief Justice and two other retired judges of the hon. Patna High Court have confirmed 81 detentions on the ground of public order. Now, only 16 dreaded criminals were detained during the corresponding period in the last year. Law and order situation in Bihar, I am told, remained well under control. All festivals pass up peacefully, excellent record on communal harmony, no carnage relating to caste violence, however, sporadic minor incidents were reported. Top priority given to solve and dispute and strict enforcement of minimum wages laws. Strengthening of special task force being given priority in order to contain naxalism. In 2005, up to 15.7.05, there were ten encounters with special task force in which 18 dreaded criminals were killed. And, 205 criminals and extremists were arrested. During 2005, up to 15th July, 2005, 15,825 criminals arrested, including 2,395 hardcore criminals. Sir, 38,302 criminals were sent to jail, while 19,389 criminals surrendered between 15th March, 2005, and 15th July, 2005. Sir, 1,83,064 warrants were executed against 2,15,044 pending warrants. Out of over 2-lakh pending warrants, 1,83,064 warrants were executed.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): आप यही कहना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार में इतने क्रिमिनल्स फ्री घूमते थे?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Then, Sir, 22,780 criminals were arrested between 15th March, 2005, and 15th July, 2005; while, 19,383 criminals were surrendered before courts. The number of pending warrants came down from 40,755 to 31,760. The extension of process/execution of process

has been given special attention by the Government. Between 1st April, 2005, and 30th June, 2005, a total of 31,856 out of 41,000 have been executed...*(Interruptions)*...

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश): सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि टोटल संख्या बता दी जाए कि कितने लोगों को मिला है और कितने बाकी हैं?

श्री उपसभापति: कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। यह कोई स्टेटमैंट नहीं हो रहा है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The number has fallen from 12,000 to 9,000...*(Interruptions)*...Now, I am come to kidnapping for ransom and preventive measures to control it. An action plan prepared including prevention, documentation, investigation and trial of such crimes. For the period between March, 2005, and 15th July, 2005, 16 kidnapping cases for ransom were reported. 70 persons reported to be kidnapped. Police action resulting in safe rescuing of 41 persons who were kidnapped and 202 kidnappers were arrested. These are all the statistics.

SHRI VIKRAM VERMA: Their own certificate to their own Government. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पिछली सरकार में ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी. पाटिल: मुझे बधाई देने की ज़रूरत नहीं है। बिलकुल नहीं है ...*(**व्यवधान**)*... This is your difficulty. You think that I am taking the credit. I have no role to play.

SHRI DIGVIJAY SINGH: That is what I am saying.

श्री उपसभापति: दिग्विजय जी, आप बैठिए। ...*(**व्यवधान**)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपकी सरकार का चेहरा कैसा है? ...*(**व्यवधान**)*...

श्री उपसभापति: मंत्री जी को अपना बयान देने दीजिए, वे खत्म करें।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The hon. Member should not think that I am giving statistics to get any credit...*(Interruptions)*...I have no role to play. I have not passed any instructions to them. I have only said, 'do it as per the law and do it in an efficient manner. Nothing more than that.'...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAY SINGH: We are thankful to you for that ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If they have failed, they are responsible.If they have succeeded, the credit should go to them.I don't take any credit. The officers in the Home Ministry do not take any credit. The Home Minister is not taking any credit. The credit goes to those people who are there. You are mistaken that I am giving these statistics to you in order to prove that I am doing well...*(Interruptions)*...No. That is not the case. You asked a question. Many, many hon. Members asked the Government as to what is the difference. This is the difference. This is the difference I have given to you as far as law and order and internal security is concerned...*(Interruptions)*... Now, you can blame anybody. In India, in politics, anything can be said against anybody with impunity. You can allege anything against anybody. That man, against whom you are making the allegation, will find it difficult to defend himself. But anybody can say anything against him. And, then, you will say if it is not true, why don't you file a defamation case and things like that. *(Interruptions)* I am saying that this is the case. *(Interruptions)* I would like you not to be ritual like this when the statistics are given. I would like you to take it in a proper manner.

The last point, which I am making, Sir, is that the case is in the Supreme Court. And, the people have said that the Supreme Court may give some judgement. I was surprised that many learned Members, in the House, referred to the Bommai's case. The Bommai's case is completely different. Let us understand that the Mr. Bommai was the Chief Minister. Mr. Bommai had formed the Government. And, if Mr. Bommai had to continue or go, the Supreme Court said, "You could have moved a no confidence motion on the floor of the House, and you can establish this." Now, was this situation prevailing in Bihar? Was there a Government? Could they go to the Legislature? How this Bommai's case is relevant to this case. I don't understand. The Bommai's case is relevant when a Government is formed and when the decision has to be taken on the floor of the House whether the Government should be continued or not. But when a Government has to be formed, the decision is taken by the Governor or the President, and not in the House. This basic difference should have been understood. *(Interruptions)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: There were certain principles in the judgement. As a Home Minister, do you say that the principles are not relevant? *(Interruptions)*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: What principles? (*Interruptions)* What principles? (*Interruptions)* I allow you to put that question after I have completed my reply. I am distinguishing it. I am distinguisting the Bommai judgement from this case. And, I am explaining, I am trying to convince the hon. Member, sitting over there, that the Bommai case is not applicable here. I know that the case is in the court. I know that the Supreme Court can decide. And, our stand has been that whatever the Supreme Court decides we will follow that decision, as binding on us. I have no doubt in mind. We have been respecting the judgements of the Supreme Court. But, then, Sir, the Supreme Court is the apex judiciary in the country and they also know the fact. In this case, elections took place. One party wanted to form the Government, but was not allowed. Nobody else came forth to form the Government. and, then, horse-trading took place. Then, a Suspension Resolution was moved in the Lower House and in the Upper House that Resolution was unanimously passed. That matter was looked into by the Governor; that matter was looked into by the Cabinet. It was examined in both the Houses, and the respected President also examined it. Mr. Nariman took a very correct stand when he said, "What is the President's rule?" The President will be advised by he Council of Ministers, and whenever an order is issued in the name of the President, it is not the President who is saying 'yes' or 'no', but the President is just approving what the Executive has said. That is the rule. Here also, if that is done, it is Executive which is responsible; it is the Council of Ministers. We are not holding the President responsible. The President could have once sent back that esolution to the Cabinet. And, if that Resolution was sent second time to the President, the President was duty-bound, bound by the Constitution to approve it. So, we are not blaming the President, but the President also applies his mind, and these facts, certainly, will be examined by the court; and, whatever we are doing will also be examined by them. We are saying that this suspended House could have continued upto 6th of September, but it will continue for one or two months more, and then elections will be held. The Supreme Court will also consider whether the horse-trading should be allowed, whether a Government of this nature should be allowed, or whether the people should be approached to give a second-time mandate as to who should form the Government in time. I have no doubt in my mind that a correct judgement will be pronounced by the Supreme Court. Whatever is pronounced by the Supreme Court, we will treat it as correct, and we will take it as hinding on us. So, we have no apprehension on that court, Sir. That is why, Sir, we have been very correct, and we will request the august House to support this Resolution and pass it.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, हमारी ओर से चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे और कुछ बहुत गंभीर प्रश्न भी पूछे गए थे। हमने जानना चाहा था कि आधी रात को कैबिनेट क्यों बुलाई गई?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: वह बताया ना मैंने।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने जानना चाहा था कि जो काम रात के अंधेरे में किया गया, क्या वह दिन के उजाले में नहीं हो सकता था ...(**व्यवधान**) हमने जानना चाहा था कि जिस शासन में राज्यपाल और मुख्य सचिव इकट्ठे काम नहीं कर सकते, जिस शासन में राज्यपाल और डी॰जी॰ पुलिस इकट्ठे काम नहीं कर सकते, उस शासन की अवधि बढ़वाने का क्या औचित्य है? गृह मंत्री जी ने इतना विस्तृत जवाब दिया, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया और केवल सतही बातें कह दीं। हम उनके उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नही हैं, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution to vote:

The question is:

> "That this House approves the continuation in force of the Proclamation, dated 7th March, 2005, in respect of Bihar, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 2nd August, 2005.

MGIPMRND—3038RS—30-11-2005.